उत्तर प्रदेश
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

श्री योगी आदित्यनाथ
मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

सर्पदंश–मानक संचालन प्रक्रिया

SNAKE BITE - STANDARD OPERATING PROCEDURE - (SOP)

2024

SNAKE BITE - STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

ACKNOWLEDGEMENT

निर्देशन

लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप साही, (एवीएसएम)
माननीय उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।

श्री राम केवल (आई0ए0एस0),
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।

योगदानकर्ताओं की सूची

श्रीमती प्रियंका द्विवेदी,
प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (एग्रीकल्चर)
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ

डॉ काशिफ ईमदाद
सदस्य, राज्य सलाहकार समिति
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश सरकार

डॉ भानु मल
सदस्य, राज्य सलाहकार समिति
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश सरकार

डॉ नीरज वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर
जंतु विज्ञान विभाग, पी पी एन पी जी कॉलेज
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

तकनीकी सहयोग

श्री राम किशोर, डाटा इंट्री आपरेटर
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।

सुश्री अग्रिमा सिंह, डाटा इंट्री आपरेटर
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।

उपाध्यक्ष
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
लखनऊ

संदेश

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एशियाई मंत्री सम्मेलन के दौरान अपने उद्‌बोधन में भारत में जोखिम प्रबंधन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिये सुझाये गये 10 सूत्री एजेण्डे में **''आपदा जोखिम प्रबंधन''** के प्रयासों को और भी बेहतर बनाने के लिये तकनीकी **(Technology)** का प्रयोग करने और जोखिम निवारण के लिये सभी को मिलजुल कर काम करने पर बल दिया है।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सर्पदंश के मामले बढ़े हैं, जिसके पीछे प्रमुख कारण समुदाय स्तर पर इसके प्रति अशिक्षा एवं जागरुकता की कमी एवं सम्बंधित विभागों के स्तर पर प्रभावी योजना का आभाव रहा है। सर्पदंश के प्रति समुदाय को प्रथम प्रत्युत्तरदाता के रुप में तैयार करने के लिये व्यापक प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है जिससे सर्पदंश से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।

सर्पदंश के प्रभावों में कमी लाने के लिये समुदाय को प्रशिक्षित एवं जागरुक करने के साथ–साथ विभिन्न विभागों की भूमिकाओं को भी सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है।

इस सन्दर्भ में मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्पदंश की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये **मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- 2024 SOP)** तैयार की गयी है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्पदंश से सम्बंधित प्रमुख जानकारियां, सर्पदंश की स्थिति में प्राथमिक उपचार की पद्धतियां, सर्पदंश से बचाव के लिये **''क्या करें, क्या न करें''** एवं सभी सम्बंधित विभागों एवं हितभागियों के कार्य–उत्तरदायित्व समाहित किये गये हैं।

मैं प्राधिकरण द्वारा राज्य सर्पदंश मानक संचालन प्रक्रिया–2024, तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि विभिन्न विभागों/हितधारकों के आपसी समन्वय से सर्पदंश प्रबंधन में यह मानक संचालन प्रक्रिया बहुत कारगर सिद्ध होगी और निःसंदेह सर्पदंश से होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने में सफलता मिलेगी। इस अवसर पर मै सर्पदंश–मानक संचालन प्रक्रिया **(Standard Operating Procedure-SOP-2024)** के सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने की कामना करता हूँ।

रविन्द्र प्रताप साही

लखनऊ **(लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप साही, ए0वी0एस0एम0**

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ

संदेश

आपदा जोखिम न्यूनीकरण आपदा प्रबंधन का प्रमुख अंग है। प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरुकता कार्यक्रमों के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न उपायों से जन साधारण को जागरूक कर सर्पदंश जैसी आपदा के दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है। मा0 प्रधानमंत्री जी के **"10 सूत्रीय एजेण्डे के अंतर्गत आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु किये जा रहे प्रयासों की कार्यदक्षता (Efficiency) बढ़ाने के लिये तकनीकी का प्रयोग किया जाये"** निम्न कथन को ध्यान में रखते हुए सर्पदंश प्रबंधन हेतु प्रदेश में सबसे अंतिम सोपान अर्थात ग्राम स्तर पर सर्पदंश प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आम जनमानस की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश स्तर पर **सर्पदंश मानक संचालन प्रक्रिया–(Standard Operating Procedure-2024)** तैयार की गयी है।

इस सर्पदंश मानक संचालन प्रक्रिया–**(Standard Operating Procedure)** के निरूपण में संबंधित विभागों/हितधारकों के समन्वय सर्पदंश प्रबंधन हेतु कार्यदक्षता-**(Efficiency)** तथा तकनीकी–**(Technology)** का कुशल समावेश किया गया है।

मै प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर सर्पदंश मानक संचालन प्रक्रिया–2024 तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि विभिन्न विभागों/हितधारकों के आपसी समन्वय से सर्पदंश प्रबंधन में यह मानक **सर्पदंश मानक संचालन प्रक्रिया– (Standard Operating Procedure)** बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

लखनऊ **(राम केवल, आई0ए0एस0)**

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**परिचय**	**1-3**
	1.1 पृष्ठभूमि	1
	1.2 परिचय	2
	1.3 पारिस्थितिकी तंत्र में सांप की भूमिका	2
	1.4 सर्पदंश पर अध्ययन का उद्देश्य	3
2	**उत्तर प्रदेश और भारत में सर्प एवं सर्पदंश**	**4-9**
	2.1 भारत के अत्यधिक जहरीले सर्प	4
	2.2 भारत के गैर विषैले सर्प	6
	2.3 उत्तर प्रदेश में सर्पदंश की स्थिति	8
3	**उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय तैयारियां**	**10-14**
	3.1 राज्य स्तरीय एवं विभागवार तैयारियां	10
	3.2 राज्य स्तरीय सर्पदंश तैयारियों का पदानुक्रम	14
4	**सर्पदंश मानक संचालन प्रक्रिया**	**15-26**
	4.1 मानक संचालन प्रक्रिया	15
	4.2 भारत में सर्पदंश से अधिक मृत्यु होने के कारण एवं सर्पदंश के दौरान क्या करें, क्या न करें	18
	4.3 सर्पदंश से बचने के लिये जागरुक होना जरुरी	21
	4.4 सर्पदंश से बचाव के उपाय	22
	4.5 सामुदायिक शिक्षा	24
5	**सर्पदंश किट**	**27-28**
	5.1 सर्पदंश किट	27
	5.2 सुरक्षा उपकरण किट	28
6	**परिशिष्ट**	**29-54**
	6.1 सर्पदंश का खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता का विश्लेषण	29
	6.2 प्रचार–प्रसार सामग्री एवं क्षमता विकास कार्यक्रम 2023–24 / वीडियो के माध्यम से प्रचार–प्रसार	33
	6.3 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं (जी0ओ0)	37
	6.4 आपदा आधारित इमरजेंसी किट	44
	6.5 सर्पदंश पर विस्तृत अनुसंधान हेतु प्रपत्र	45
	6.6 राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अहैतुक सहायता / आपातकालीन संपर्क सूत्र	51

चित्रों की सूची

चित्र संख्या	चित्र का नाम	पृष्ठ संख्या
1	पारिस्थितिकी तंत्र में सांपों की भूमिका	3
2	भारत के अत्यधिक जहरीले सर्प	5
3	स्नेक वेनम एवं सर्प के विष के प्रकार एवं एंटीवेनम	6
4	भारत के गैर विषैले सर्प एवं सर्पदंश के लक्षण/प्रभाव	7
5	उत्तर प्रदेश में अत्यधिक पायी जाने वाली सांपों की प्रजाति	8
6	उत्तर प्रदेश में सर्पदंश जनहानि	9
7	राज्य स्तरीय सर्पदंश तैयारियों का पदानुक्रम	14
8	टूटे हुए अंग की तरह स्थिर रखना	16
9	दबाव स्थिरीकरण (सुदरलैंड विधि)	16
10	सर्पदंश पर अस्पताल संबंधी दिशानिर्देश	17
11	भारत में सर्पदंश से अधिक मृत्यु होने के कारण	19
12	सर्पदंश के दौरान क्या करें व क्या न करें	20
13	सर्पदंश से बचने के लिये जागरुक होना जरुरी	21
14	सर्पदंश से बचाव के उपाय	23
15	सर्पदंश से बचने के लिए जमीन पर ना सोएं एवं मच्छरदानी का प्रयोग करें	23
16	सर्पदंश में ध्यान रखने योग्य बातें	26
17	सर्पदंश किट	28
18	उत्तर प्रदेश में सर्पदंश जनहानि	32
19	प्रचार–प्रसार सामग्री	33
20	क्षमता विकास कार्यक्रम–2023–24	34
21	जन–जागरूकता कार्यक्रम	35
22	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं	37
23	आपदा आधारित इमरजेंसी किट	44
24	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अहैतुक सहायता/ आपातकालीन संपर्क सूत्र	51

तालिकाओं की सूची

तलिका संख्या	तालिका का नाम	पृष्ठ संख्या
1	वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक प्रदेश में सर्पदंश से हुई जनहानि का वर्षवार विवरण	9
2	यूपी में सर्पदंश से वर्षवार मौतें	29
3	यूपी में सर्पदंश से जिलेवार मौतें	29
4	सर्पदंश का खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता का विश्लेषण	32

अध्याय 1

परिचय

1.1 पृष्ठभूमि :-

वन्य–जीव प्राणी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समाज के बदलते स्वरूप के कारण वन्य जीवों पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वन्य क्षेत्र सिमट रहें हैं, वन्य प्राणियों के रहने के क्षेत्र सीमित हो रहे हैं, ऐसे में उनका सामना मनुष्यों से होना एक आम घटना है। सर्प भी उन्हीं जीवों में से एक है जो हमेंशा छिप कर ही रहना चहता है लेकिन जब इनका सामना मनुष्यों से होता है तो कभी–कभी मनुष्य भी इनके दंश का शिकार हो जाते हैं।

सर्पदंश एक जीवन–घातक घटना होती है, जिसमें बचाव के लिए बहुत कम समय मिलता है। यदि ससमय इलाज नहीं किया जाता है तो जनहानि की संभावना बढ़ जाती है। सर्पदंश पीड़ित का त्वरित इलाज कराकर जनहानि को रोका जा सकता है। सर्पदंश की घटनाएँ पूरे वर्ष होती हैं, परन्तु मानसून के दौरान सर्पदंश की घटनाएँ अत्यधिक होती हैं। सर्पदंश के प्रति समाज का हर वर्ग संवेदनशील होता है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटना एवं इससे हताहत होने की अधिक संभावना रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि सर्पदंश कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और वर्ष 2017 में, डब्ल्यूएचओ ने सर्पदंश के जहर को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (श्रेणी ए) के रूप में वर्गीकृत किया है। डब्ल्यूएचओ का यह भी अनुमान है कि हर साल 4.5 से 5.4 मिलियन लोगों को काटा जाता है, और उन आंकड़ों में से 40-50% में परिणामस्वरूप किसी प्रकार की नैदानिक बीमारी विकसित हो जाती है। इसके अलावा, ऐसी चोट से मरने वालों की संख्या प्रति वर्ष 80,000 से 1,30,000 लोगों के बीच हो सकती है। इसका उद्देश्य अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, विषरोधी दवाओं की पहुंच का विस्तार करना और विकासशील देशों में सर्पदंश प्रबंधन में सुधार करना था।

शोध के अनुसार भारत में मात्र 15 प्रतिषत सर्प ही जहरीली प्रजाति के पाये जाते हैं, शेष 85 प्रतिशत प्रजातियाँ विषहीन हैं। भारत में सर्पदंश से मौतों के आकड़े दुनिया के किसी भी देश से अधिक हैं। इसके पीछे का तर्क है कि सापों के बारे में सही जानकारी का अभाव एवं समय से इलाज का न मिल पाना।

1.2 परिचय :-

सर्पदंश कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, विशेष रूप से भारत में जहाँ वे कई मौतों और विकलांगताओं का कारण बनते है, खासकर किसानों और ग्रामीण समुदायों जैसे कमजोर समूहों के बीच। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने व्यापक रोकथाम और प्रभावी आपातकालीन देखभाल रणनीतियों को महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत सर्पदंश से होने वाली मौतों के भारी बोझ का सामना कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा होने के बावजूद सर्पदंश से होने वाली मौतें, विशेषकर किसानों के बीच, अक्सर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है। 2020 के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में हर साल लगभग 58,000 लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है, कि कम रिपोर्टिंग के कारण वास्तविक संख्याएं अधिक हो सकती हैं। सर्पदंश के जहर से गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं, जिनमें अंगभंग और स्थायी विकलांगता शामिल हैं। सीमित स्वास्थ्य देखभाल पहुंच या गैर–चिकित्सा उपचार चाहने वाले पीड़ितों के कारण कई मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं।

सर्पदंश जहर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण प्रभावी एंटीवेनम तक पहुंच जरूरतमंद लोगों के लिए अभाव या पहुंच से बाहर हैं, जिससे समस्या बढ़ रही है। शिक्षा, जागरूकता और विषरोधी प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेप सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगताओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे भारत में सर्पदंश के प्रभाव को कम करने का अवसर मिल सकता है।

1.3 पारिस्थितिकी तंत्र में सांप की भूमिका :-

- **शिकारी :-** सांप मध्यक्रम के शिकारी होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को चालू रखते हैं। वे अपने शिकार की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं।
- **शिकार :-** सांप अन्य जानवरों के लिए भी भोजन का काम करते हैं।
- **कीट नियंत्रण :-** सांपों की भोजन की आदतें कीट नियंत्रण के प्राकृतिक रूप के रूप में कार्य करती हैं।
- **पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर :-** सांप मनुष्यों को आर्थिक और चिकित्सीय लाभ प्रदान करते हैं।

उदाहरण के लिए, साँप के जहर का उपयोग साँप–विरोधी जहर बनाने के लिए किया जाता है, जो साँप के काटने के लिए एकमात्र सिद्ध और प्रभावी उपचार है।

चित्र 1 – पारिस्थितिकी तंत्र में सांप की भूमिका ।

1.4 <u>सर्पदंश पर अध्ययन का उद्देश्य</u> :–

- सर्पदंश से होने वाली घटनाओं को न्यूनतम करना तथा आपदाओं के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल करना।
- समुदाय की अंतिम इकाई तक सर्पदंश से बचाव के संबंध में जागरुकता फैलाना।
- सर्पदंश से होने वाली जनहानि की रोकथाम, शमन की तैयारी करना।
- सर्पदंश के समय ***"क्या करें, क्या न करें"*** के संबंध में आम जनमानस को जानकारी प्रदान करना।
- सर्पदंश से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग, सर्पदंश के लक्षण, तथा सर्पदंश से अधिक मृत्यु होने के कारण के बारे में आम जनमानस को जानकारी प्रदान करना।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश और भारत में सर्प एवं सर्पदंश

2.1 भारत के अत्यधिक जहरीले सर्प :- यह पृथ्वी ग्रह मांसाहारी सरीसृपों की लगभग 3,400 जीवित प्रजातियों का घर है। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में सांपों ने जीवाश्म, वृक्षीय, स्थलीय और जलीय वातावरण में आबादी स्थापित की है। असाधारण जैविक विविधता से भरपूर, भारत में साँप कोई अपवाद नहीं हैं। देश भर में लगभग 300 साँप प्रजातियाँ विभिन्न आवासों में निवास करती हैं, जिनमें से 60 अधिक जहरीली, 40 हल्की जहरीली और लगभग 180 गैर–जहरीली हैं। प्रजातियाँ चार परिवारों के अंतर्गत आती हैं – कोलुब्रिडे, एलापिडे, हाइड्रोफिडे और वाइपरिडे।

कोलुब्रिडे – लगभग 35 से 55 मिलियन वर्ष पहले विकसित, यह सांपों का सबसे बड़ा और सबसे विविध परिवार है। पीछे से नुकीले सांपों से युक्त, उनमें से अधिकांश प्रकृति में गैर विषैले होते हैं। परिवार में कीलबैक्स, रैट्स स्नेक, वुल्फ स्नेक और ट्रिंकेट स्नेक जैसे सांप शामिल हैं। जो चीज उन्हें अन्य साँपों से अलग करती है, वह है आँखों के पीछे सिर के दोनों ओर डुवनॉय ग्रंथियों की उपस्थिति – जो विष ग्रंथि के अनुरूप होती हैं।

एलापिडे – विकास के संदर्भ में काफी नए, दो उभरे हुए सामने वाले नुकीले दांत इन सांपों की अनूठी विशेषता है। आम तौर पर विषैले, गर्दन के फड़कने के प्रदर्शन से कोई भी उन्हें आसानी से पहचान सकता है। पूरे भारत में वितरित, ज्यादातर क्रेट और कोबरा इसी परिवार के अंतर्गत आते हैं।

हाइड्रोफिडे – इस परिवार के सांपों ने समुद्री जीवन शैली को अपना लिया है और प्रभावी ढंग से तैरने और नमक उत्सर्जित करने की क्षमता विकसित कर ली है।उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत छोटे नुकीले दाँतों वाले अत्यधिक विषैले होते हैं। इस परिवार में मूंगा साँप और समुद्री साँपों की प्रजातियाँ शामिल हैं।

वाइपेरिडे – इस परिवार की सांप प्रजातियों में लंबे, खोखले, वापस लेने योग्य नुकीले दांत होते हैं जो शिकार में जहर को आसानी से इंजेक्ट करने में सहायक होते हैं। उनमें से अधिकांश

में उलटे तराजू और भट्ठा के आकार की, अण्डाकार पुतलियाँ होती हैं। इस परिवार में वाइपर शामिल हैं, जो भारतीय मुख्य भूमि पर व्यापक रूप से पाए जाते हैं।

भारत के अत्यधिक जहरीले सर्प

❖ शोध के अनुसार भारत में मात्र 15 प्रतिशत सर्प ही जहरीली प्रजाति के पाये जाते हैं। शेष 85 प्रतिशत सर्पों की प्रजातियां विषहीन पायी जाती हैं।

रसेल वाइपर (कोरिवाला) घानस (चीतर)

- दिखने में मोटा और चकत्तेदार
- प्रेषर कुकर की सीटी की तरह आवाज करता है।
- उँची घास, गन्ने के या कपास के खेत में आश्रय लेता है।
- सर्पदंश की जगह गहरे घाव के साथ रक्तस्त्राव होता है।
- रक्तस्त्राव शरीर के किसी भी रंध्र से हो सकती है—जैसे, नाक, मुह, कान या गुदा द्वार।

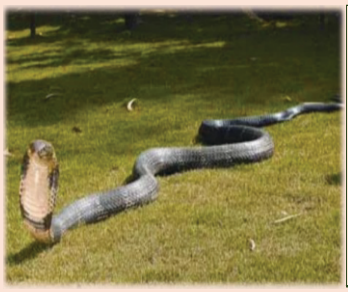

किंग कोबरा (स्पेक्टेकल्ड कोबरा) नाग

- फन पर **U/V** आकार का चिन्ह।
- गाय, भैंस के तबेला, झाड़ी या लकड़ी के ढ़ेर में आश्रय लेता है।
- सर्पदंश के तुरंत बाद दर्द होता है और उसके उपरान्त सूजन और त्वचा काली पड़ जाती है।
- सर्पदंश से—आंखों में धुंधलापन, बोलने में या सांस लेने में कठिनाई, या लकवा जैसे लक्षण दिखने की संभावना होती है।

भारतीय करैत/(ब्लू करैत)/कॅमन करैत

- आमतौर पर बरसात के मौसम में पाया जाता है।
- छोटे खाई—खड्डे या बिल में छुपता है।
- स्नान घर के पाइप या दरवाजे के छोटे छेद से प्रवेश करता है।
- सर्पदंश से तीव्र पेट दर्द, उल्टी और कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं।
- सर्पदंश से— दिखने में धुंधलापन, बोलने में या सांस लेने में कठिनाई, या लकवा जैसे लक्षण दिखने की संभावना होती है।

सॉ स्केल्ड वाइपर

- आमतौर लकड़ी का ढ़ेर या घास में छुपता है।
- घास से चलते समय आमतौर पर काटता है।
- सर्पदंश कांटे की चुभन जैसा महसूस होता है।
- सर्पदंश के जगह गहरे घाव का रक्तस्त्राव होता है।
- रक्तस्त्राव शरीर के किसी भी रंध्र से हो सकती है, जैसे कि नाक, मुंह, कान या गुदाद्वार।

चित्र 2 — भारत के अत्यधिक जहरीले सर्प।

स्नेक वेनम

सांप के विष को वेनम कहा जाता है जो **Poison** से अलग होता है, वेनम उस तरह से क्रिया नहीं करता जिस तरह से **Poison** करता है। रक्त के संपर्क के बिना वेनम का असर आपके शरीर पर नहीं होगा, अगर आप सर्प के विष को पी जाएं तो यह पच जायेगा क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। सांप का जहर कंपलेक्स एंजाइमेटिक प्रोटीन और टॉक्सिंस का मिश्रण होता है। सांप के जहर में 90% तक प्रोटीन (ड्राई वेट) होती है। सांप के जहर में 100 से भी अधिक तरीके के एंजाइमेटिक प्रोटीन, नॉन एंजाइमेटिक पॉलिपेप्टाइड टॉक्सिंस ओर नॉन टॉक्सिक प्रोटीन हो सकते हैं।

सर्प के विष के प्रकारः–

सांप का विष दो तरह का होता है– 1. न्यूरोटॉक्सिक

2. हीमोटॉक्सिक

एंटीवेनमः–

- सर्पदंश के मामले में स्नेक एंटीवेनम नामक इंजेक्शन बहुत प्रभावी होता है। **यह दवाई शरीर में पहुंचते ही जहर से मुकाबला कर उसके प्रभाव को खत्म करने लगती है।** सर्पदंश के मामले में मरीज की जान बचाने के लिए यह इंजेक्शन शीघ्र अतिशीघ्र लगना बहुत जरूरी है।

चित्र 3 – स्नेक वेनम एवं सर्प के विष के प्रकार एवं एंटीवेनम।

2.2 भारत के गैर विषैले सर्प :- गैर विषैले सांप वे सांप होते हैं जिनमें कोई जहर नहीं होता और जो किसी जानवर या इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इन सांपों के दांत विषैले सांपों के समान होते हैं। गैर–जहरीले सांप के काटने से आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए चोट की थोड़ी देखभाल की आवश्यकता होती है।

1. Common watersnake – *Nerodia sipedon*
2. Indian python / Rock Python – *Python molurus*
3. Burmese python – *Python bivittatus*
4. Common Wolf Snake – *Lycodon capucinus*
5. Red Sand Boa / John’s Sand Boa – *Eryx johnii*
6. Eastern ratsnake – *Pantherophis alleghaniensis*

चित्र 4 – भारत के गैर विषैले सर्प एवं सर्पदंश के लक्षण/प्रभाव।

नोट–सर्पदंश की स्थिति में जैसे कि कुछ मामलों में रक्त चाप (बी०पी०) बढ़ जायेगा, उस स्थिति में पीड़ित बेहोश हो जायेगा और गैंग्रीन की संभावना होगी और कुछ मामलों में रक्त चाप (बी०पी०) कम हो जायेगा। गैंग्रीन एक भयानक और जानलेवा रोग है जो मुख्य रूप से इस कारण पनपता है जब हमारे शरीर में ब्लड़ का संचार ठीक तरह से नहीं हो पाता है या हमारे शरीर में किसी खास स्थान के टिश्यू खून के कम प्रवाह और दबाव की वजह से सड़ने गलने या सूखने लगते हैं।

2.3 उत्तर प्रदेश में सर्पदंश की स्थिति :-

उत्तर प्रदेश विभिन्न आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील है। यहां बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, वज्रपात, अग्निकाण्ड, शीतलहर, लू–प्रकोप, सर्पदंश आदि विभिन्न आपदाएँ घटित होती रहती हैं। जिसमें से सर्पदंश एक अत्यधिक संवेदनशील आपदा है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष सर्पदंश से अत्यधिक प्रभावित होता है और व्यापक जनहानि का कारण बनता है। सर्पदंश से होने वाली जनहानि को कम करने हेतु एक व्यापक रणनीति एवं जन–जागरुकता कार्यक्रम को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ग्राम स्तर पर आम जनमानस को सर्पदंश के समय **''क्याकरें, क्या न करें'' / प्राथमिक उपचार की जानकारी से अवगत कराया जाये।**

उत्तर प्रदेश में अत्यधिक पायी जाने वाली सांपों की प्रजातियाँ

- भारतीय कोबरा या नाजा–नाजा को पहले किंग कोबरा के समान वितरण वाली एक ही प्रजाति माना जाता था।
- नाजा–नाजा स्पीसीज़ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाये जाते हैं। जो ज्यादा जहरीला होता है।
- नाजा प्रजातियाँ लंबाई में भिन्न होती हैं और अधिकांश अपेक्षाकृत पतले शरीर वाले सांप होते हैं। अधिकांश प्रजातियाँ 1.84 मी0 (6.0 फिट) तक होती हैं।
- इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक है, जिसका अर्थ है कि यह तंत्रिकाओं की सिग्नल संचालित करने की क्षमता को खराब कर देता है, जिससे माँसपेशियाँ में पक्षाघात हो जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो इससे मृत्यु हो सकती है।

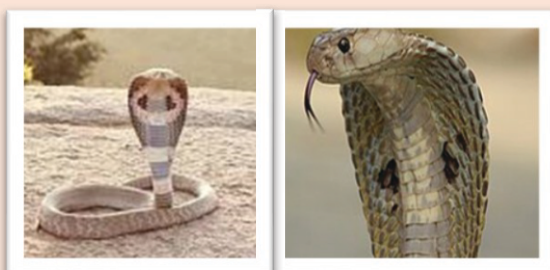

किंग कोबरा (नाजा–नाजा)

चित्र 5 – उत्तर प्रदेश में अत्यधिक पायी जाने वाली सांपों की प्रजातियाँ।

सर्पदंश के कारण प्रतिवर्ष लगभग 519 जनहानि औसत रुप से प्रदेश में दर्ज की गयी है जो कि चिंता का विषय है। सर्पदंश कारण जनहानि को कम करने हेतु आवश्यकता है कि **जनपद स्तर, नगर पचायत, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, तथा ग्राम स्तर, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पी0एच0सी0/सी0एच0सी0** स्तर तक जनमानस में सर्पदंश के समय ***''क्या करें, क्या न करें''*** तथा **सर्पदंश से बचने के लिये जागरुक होना जरूरी है** की जानकारी से अवगत कराया जाय।

तालिका 1—वर्ष 2018—19 से 2023—24 तक प्रदेष में सर्पदंश से हुई जनहानि का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	प्रदेश में सर्पदंश से कुल मृत्यु
1.	2018—19	21
2.	2019—20	484
3.	2020—21	535
4.	2021—22	981
5.	2022—23	497
6.	2023—24 (01.04.2023 से 02.10.2023)	596
	कुल योग	**3114**

Source :- UPSDMA 2018-2023

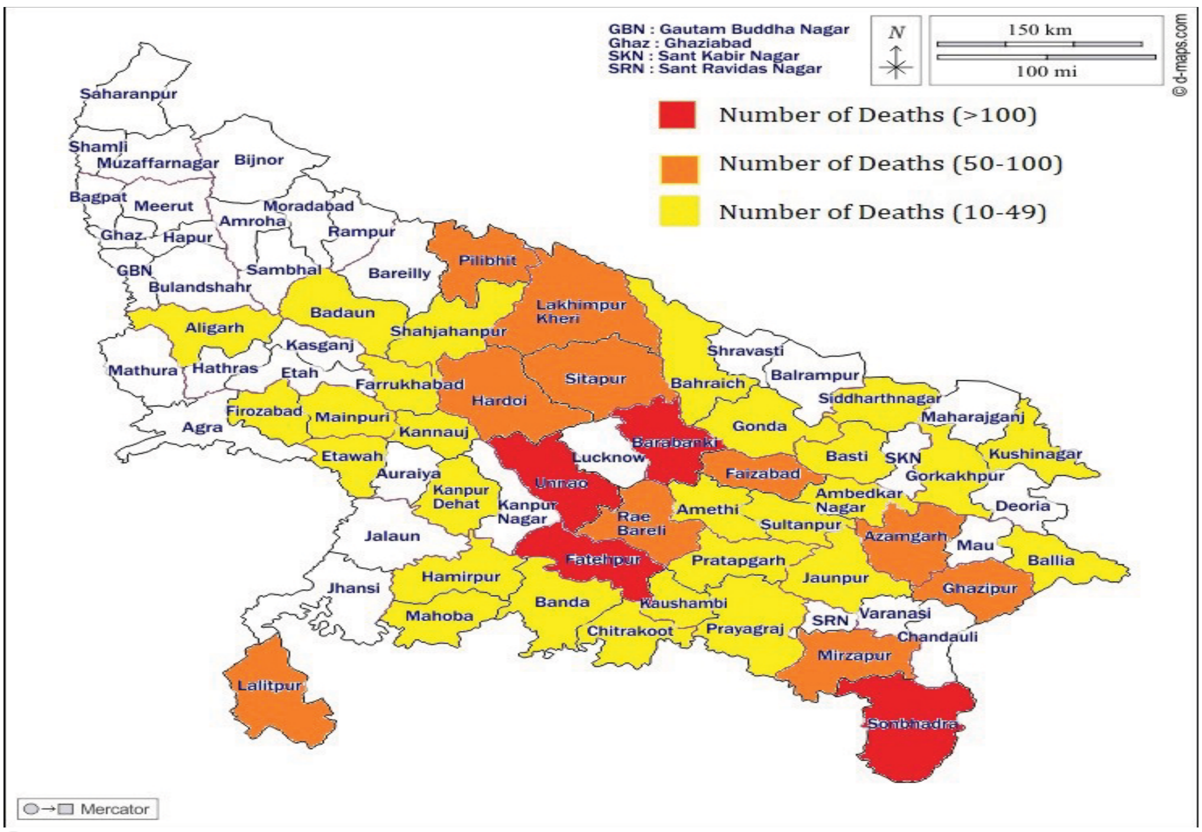

चित्र 6 — उत्तर प्रदेश में सर्पदंश जनहानि। **(Source :- UPSDMA 2018-2023)**

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय तैयारियां

3.1 राज्य स्तरीय एवं विभागवार तैयारियां :- सर्पदंश जैसी विकराल समस्या से लड़ने का कार्य कोई अकेली संस्था संगठन नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी विभागों को आपस में मिल–जुल कर सहयोग से कार्य करना चाहिए जिससे जान–माल की हानि को कम से कम किया जा सकें और लोगों का जीवन बचाया जा सके।

विभागवार जिम्मेदारियां	राज्य स्तर पर पूर्व तैयारी संबंधित कार्य	दायित्व
राज्य स्तरीय तैयारियां	• राज्य स्तर पर इमरजेंसी आपरेशन सेंटर को सर्पदंश की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए 24X7 घण्टे क्रियाशील किया जाना। • इमरजेंसी आपरेशन सेंटर में कार्यरत कार्मियों को सर्पदंश की घटनाओं को संज्ञान में लेने हेतु प्रशिक्षित किया जाये। • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग तथा पंचायतीराज विभाग, शिक्षा विभाग (जन्तु विज्ञान प्रोफेसर को (जैसे कि एक्सपर्ट) प्रचार–प्रसार/प्रशिक्षण हेतु) सर्पदंश के क्षेत्र में एवं अनुभव प्राप्त पंजीकृत एन0जी0ओ0 के साथ समन्वय स्थापित कर एक रणनीति बनाते हुए कार्य करना तथा राज्य/जिला स्तर पर विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित करना एवं आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना। • सर्पदंश के प्रभावी प्रचार–प्रसार हेतु राज्य स्तर पर निम्नांकित विभागों के ट्रेंनिंग प्रोग्राम आयोजित किये जाएं। • समस्त आपदा विशेषज्ञों से ऑनलाइन बैठक कर पूर्व रणनीति बनाकर आवश्यक ट्रेंनिंग कराकर दिशानिर्देश प्रदान किये जायें। • सभी Antivenom Centre की अक्षांश देशांतर स्थिति और केंद्रों में अन्य सुविधाओं की जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए राज्य	• राज्य स्तरीय सभी विभागों में परस्पर समन्वय स्थापित कर आपदा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कार्य किया जाए।

	मे ऑनलाइन Antivenom Centre की GIS सूचना प्रणाली की स्थापना की जा सके जिससे नागरिक मोबाईल फोन पर अपने समीप स्थित Antivenom Centre की जानकारी प्राप्त कर सकें। • सभी Antivenom Centre पर इस आशय की होर्डिंग/बैनर लगाया जाए जिससे इन केंद्रों की आसानी से पहचान की जा सके ।	
राजस्व विभाग	• सर्पदंश के प्रभावी प्रचार–प्रसार हेतु ट्रेंनिंग प्रोग्राम जिला, तहसील, नगर पंचायत, ब्लॉक, एवं ग्राम स्तर पर आयोजित कराये जाएं। • राजस्व विभाग द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय को सर्पदंश हेतु जनपद स्तर पर **नोडल अधिकारी** नामित किया जाय। • जनपद द्वारा सर्पदंश हेतु आयोजित किये जाने वाले ट्रेंनिंग प्रोग्राम में सहयोग प्रदान किया जाए तथा विभागवार जिम्मेदारियें का निर्वहन किया जाये। • राजस्व विभाग द्वारा जनपद/तहसील/नगर पंचायत/ब्लॉक/ग्राम पचायत स्तर पर सर्पदंश संबंधी जागरुकता/प्रचार–प्रसार हेतु **''क्या करें, क्या न करें''/नुक्कड़ नाटक, डोर टू डोर अवेयरनेस प्रोग्राम** चलाने में सहयोग प्रदान किया जाय। • समस्त आपदा विंशेषज्ञों को सर्पदंश से होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने में दिशा निर्देश/सहयोग प्रदान किया जाए ।	• राजस्व विभाग अपर जिलाधिकारी (**नोडल अधिकारी**), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा विषेषज्ञ द्वारा कृत कार्यों हेतु समन्वय स्थापित किया जाये।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	• सभी जिलों के मेडिकल कॉलेज तथा CHC, PHC पर Antivenom Centre स्थापित किये जाये। • जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0ओ0) द्वारा चयनित डिग्री धारक चिकित्सकों को विषरोधक का विशेष प्रशिक्षण देकर उनकी नियुक्ति Antivenom Centre पर की जाये। • जिला, तहसील, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर राजस्व लेखपाल, ग्राम सचिवों, ग्राम प्रधानों को सम्मिलित करते हुए आम जनमानस को सर्पदंश से बचाव हेतु प्रशिक्षित/जागरूक करने का कार्य किया जाये तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाये।	• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0ओ0), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञों द्वारा कृत कार्यों हेतु समन्वय स्थापित किया जाये।

	• समस्त जिले, तहसील, नगर पंचायत, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर स्थापित **एंटीवेनम सेंटर्स** पर (24x7) Anti Venom उपलब्ध कराया जाये। • उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये सर्पदंश से बचाव नामक फोल्डेवल पोस्टर, क्या करें क्या न करें के पैम्फलेट/प्रचार–प्रसार सामग्री को आशा बहुओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से जन–जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से **डोर टू डोर प्रचार–प्रसार।**	
वन विभाग	• राजस्व विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना एवं जन–सम्र्पक विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर एक रणनीति बनाते हुए जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कार्य किया जाये। • वन विभाग द्वारा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाओं को कम करने के लिए सपेरो को प्रशिक्षित कर जन–जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये। • जहां तक सम्भव हो सभी बचाव कार्य वन विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में किया जाये।	• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपदा विशेषज्ञ द्वारा कृत कार्यों हेतु समन्वय स्थापित किया जाये। • प्रभागीय वन अधिकारी/सहायक वन संरक्षक अधिकारी अन्य विभागीय कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम वासियों को सचेत/जागरुक किया जाये।
सूचना एवं जन–सम्र्पक विभाग	• आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 67 **(चेतावनी आदि की संसूचना के लिए मीडियो को निर्देश)** मे प्राविधानित है कि **राज्य प्राधिकरण किसी प्राधिकारी या किसी दृश्य श्रव्य मीडिया या संसूचना के ऐसे साधनों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को जो किसी आपदा की आंशका या स्थिति या आपदा के बाद किसी चेतावनी या मंत्रणाओं को कार्यान्वित करने पर उपलब्ध हो, निर्देश देन के लिए सरकार को सिफारिश कर सकेगा और संसूचना के उक्त साधन और आभिहित मीडिया ऐसे निर्देश का पालन करेगा।** • उक्त से विदित है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भूमिका निर्धारित की जाय तथा उचित होगा कि यदि सूचना एवं जनसम्र्पक	•जिला सूचना अधिकारी सूचना एवं जन–सम्र्पक विभाग एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपदा विशेषज्ञों द्वारा कृत कार्यों हेतु समन्वय स्थापित किया जाये। • ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से लोकल भाषा/वेशभूषा के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाए।

	विभाग द्वारा लोकल भाषा/लोकल वेशभूषा में ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार कराने की जिम्मेदारी दी जाये।	
पंचायतीराज विभाग	• राजस्व विभाग, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना एवं जन–सर्म्पक विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर एक रणनीति बनाते हुए जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य किया जाये। • उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये सर्पदंश से बचाव नामक फोल्डेवल पोस्टर, क्या करें क्या न करें के पैम्पलेट/प्रचार–प्रसार सामग्री को ग्राम्य स्तर पर डोर टू डोर प्रचार–प्रसार कराया जाये। • जहां सर्प के होने की संभावना हो वहाँ कार्बोलिक एसिड का छिड़काव किया जाए, जिससे आम जनमानस को अवगत कराया जाये। • जिला, तहसील, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर राजस्व लेखपाल, ग्राम सचिवों, ग्राम प्रधानों को सम्मिलित करते हुए आम जनमानस को सर्पदंश से बचाव हेतु प्रशिक्षित एवं जागरूक करने का कार्य किया जाये तथा उक्त को सम्मिलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाये। • पंचायतीराज विभाग द्वारा लोकल भाषा/लोकल वेशभूषा में नुक्कड नाटक, माइकिंग सिस्टम डोर टू डोर अवेयरनेस प्रोग्राम तथा ग्राम सभाओं में गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर ड्रामा के माध्यम से जन–जागरूकता कार्यक्रम कराया जाये।	• जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम में समस्त प्रक्रिया को दर्ज किया जायेगा। • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञ द्वारा कृत कार्यों हेतु समन्वय स्थापित किया जाये। • ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से/उपलब्ध संसाधनों से ग्राम वासियों को सतर्क/जागरुक किया जाये।
शिक्षा विभाग/पंजीकृत एन0जी0ओ0	• जनपद स्तर पर शिक्षा विभाग जन्तु विज्ञान प्रोफेसर को (एक्पर्ट के तौर पर) एवं पंजीकृत एन0जी0ओ0 को सर्पदंश प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रचार–प्रसार कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाय।	

3.2 राज्य स्तरीय सर्पदंश तैयारियों का पदानुक्रम :-

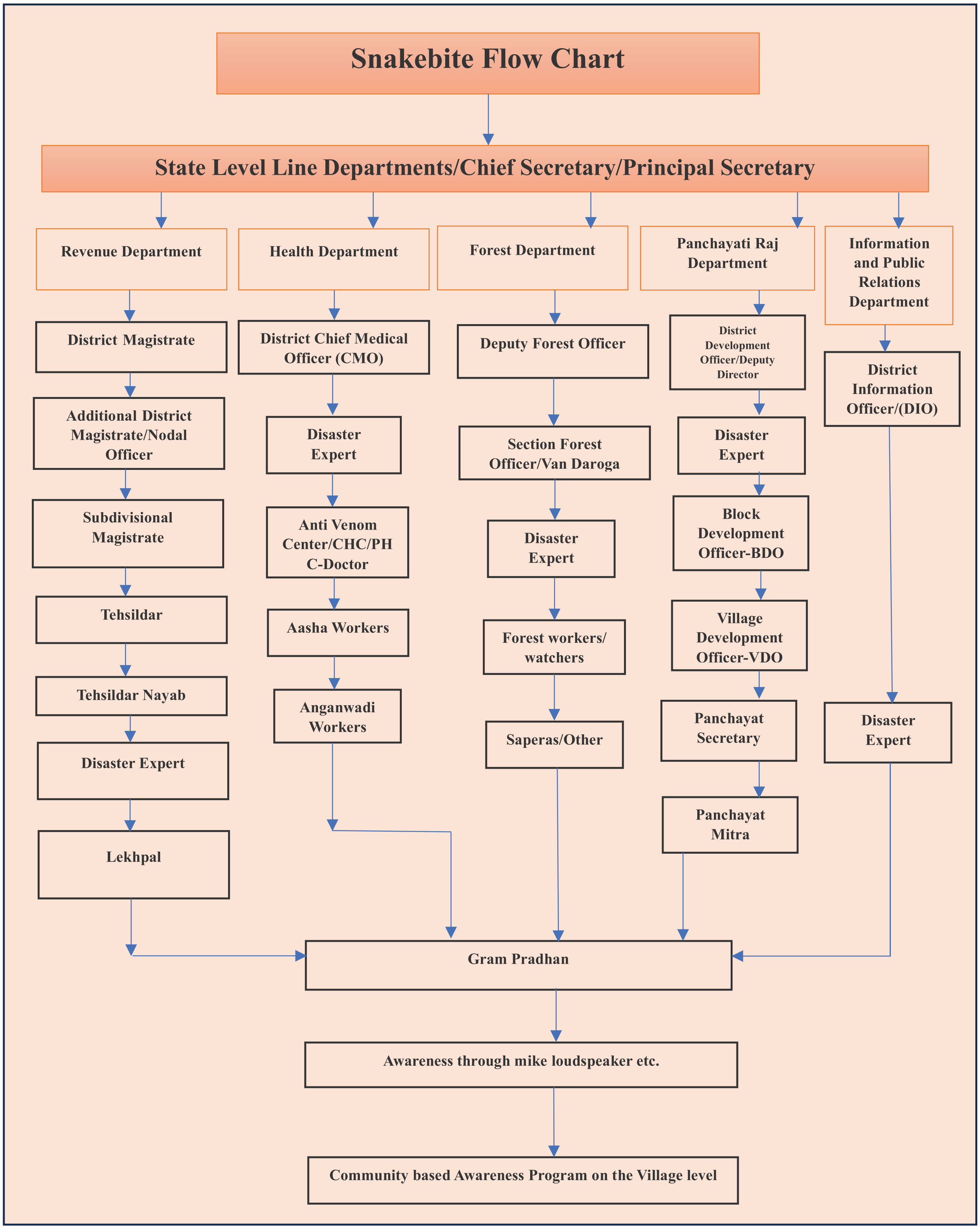

चित्र 7 – राज्य स्तरीय सर्पदंश तैयारियों का पदानुक्रम ।

अध्याय 4

सर्पदंश मानक संचालन प्रक्रिया

4.1 मानक संचालन प्रक्रिया – सर्पदंश का चिकित्सीय प्रबंधन इस प्रकार है :-

प्राथमिक चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश - सर्पदंश की प्राथमिक चिकित्सा सर्पदंश प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है ताकि उनकी सर्वोत्तम संभावित स्थिति में निकटतम चिकित्सा सुविधा तक पहुंच बनाई जा सके। फिर भी इस पर स्पष्टता और ध्यान की कमी है। साक्ष्यों के परिणामस्वरूप इसमें बहुत कम सकारात्मक प्रगति हुई है। अशिक्षित कर्मचारी आमतौर पर सर्पदंश के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक चिकित्सा सलाह स्पष्ट लागू करने में आसान और अधिकतम लाभ और कम से कम समय की देरी प्रदान करने वाली हो।

प्राथमिक चिकित्सा उपाय -

- **दर्शक या पीड़ित द्वारा** – प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के बाद तुरंत पीड़ित का स्थानांतरण किया जाए जहां एंटीस्नेक वेनम (एएसवी) के साथ इष्टतम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो एवं उसकी बारीकी से निगरानी रखी जा सकती हो और प्रयोगशाला जांच की सुविधा उपलब्ध हो।
- **समुदाय या ग्राम स्तर पर** –
  - ✓ सर्पदंश के इतिहास की जाँच करें और काटने के स्पष्ट सबूत देखें (फैंग पंचर ,निशान, रक्तस्राव, काटे हुए भाग की सूजन आदि)। हालाँकि, करैट बाइट में कोई स्थानीय निशान देखे नहीं जा सकते हैं। इसे आवर्धक लेंस द्वारा पिन हेड ब्लीडिंग के रूप में नोट किया जा सकता है।
  - ✓ रोगी को आश्वस्त करें क्योंकि लगभग 70% सर्पदंश गैर विषैले होते हैं ।
  - ✓ टूटे हुए अंग की तरह ही अंग को स्थिर करें। पट्टियों या कपड़े का प्रयोग स्प्लिंट्स (लकड़ी की छड़ी) को पकड़ने के लिए करें, लेकिन रक्त की आपूर्ति को अवरुद्ध न करें या दबाव न लगाएं ।(चित्र 8 एवं चित्र 9)
  - ✓ पीड़ित के चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा पहुंचने तक उसका मुंह खाली कर दें ।
  - ✓ सर्पदंश के इलाज में पारंपरिक उपचारों का कोई लाभ नहीं है।
  - ✓ पीड़ित को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा (पीएचसी या अस्पताल) में ले जाएं।

- ✓ रोगी को चिकित्सा देखभाल तक शीघ्र, सुरक्षित और निष्क्रिय रूप से एम्बुलेंस (टोल फ्री नंबर 102/108 आदि), नाव, साइकिल, मोटरबाइक, स्ट्रेचर आदि के माध्यम से यथासंभव पहुंचाने की व्यवस्था करें।

चित्र 8– टूटे हुए अंग की तरह स्थिर करना। (**Source :-** Standard Treatment Guidelines (2016), Ministry of Health & Family Welfare, GoI).

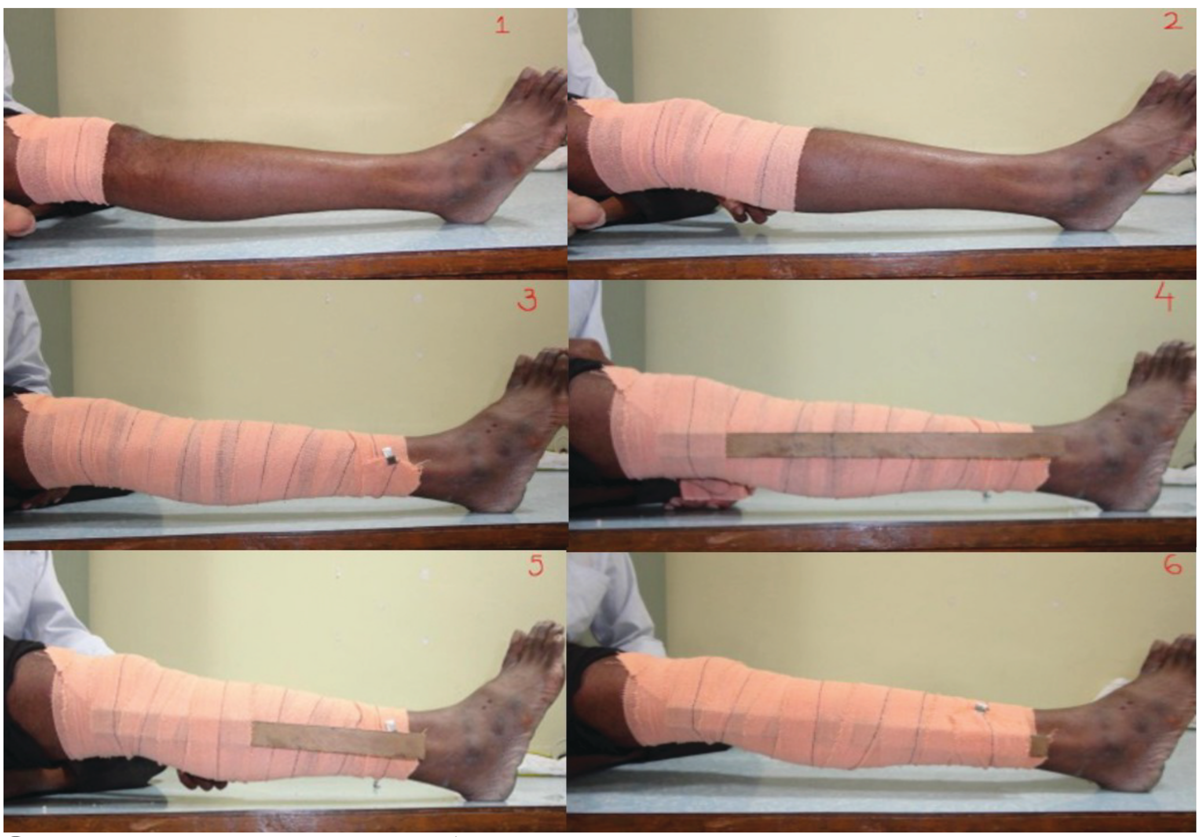

चित्र 9 – दबाव स्थिरीकरण (सुदरलैंड विधि) । (**Source :-** Standard Treatment Guidelines (2016), Ministry of Health & Family Welfare, GoI).

अस्पताल संबंधी दिशानिर्देश -

- सर्पदंश की पुष्टि या संदेह वाले सभी पीड़ितों को भर्ती करें और उन्हें 24 घंटे तक निगरानी में रखें ।
- प्राथमिक चिकित्सा उपाय, सहायक उपाय तुरंत प्रदान करें। विषवमन के लिए निरीक्षण करें। विष के सबूत मिलते ही एएसवी थेरेपी का प्रबंध करें।

Rapid primary clinical assessment and resuscitation: **CABDE** approach

C = Circulation (Arterial Pulse)

A = Airway

B = Breathing (respiratory movements)

D = Disability of the nervous system (level of consciousness)

E = Exposure and environmental control (protect from cold etc.)

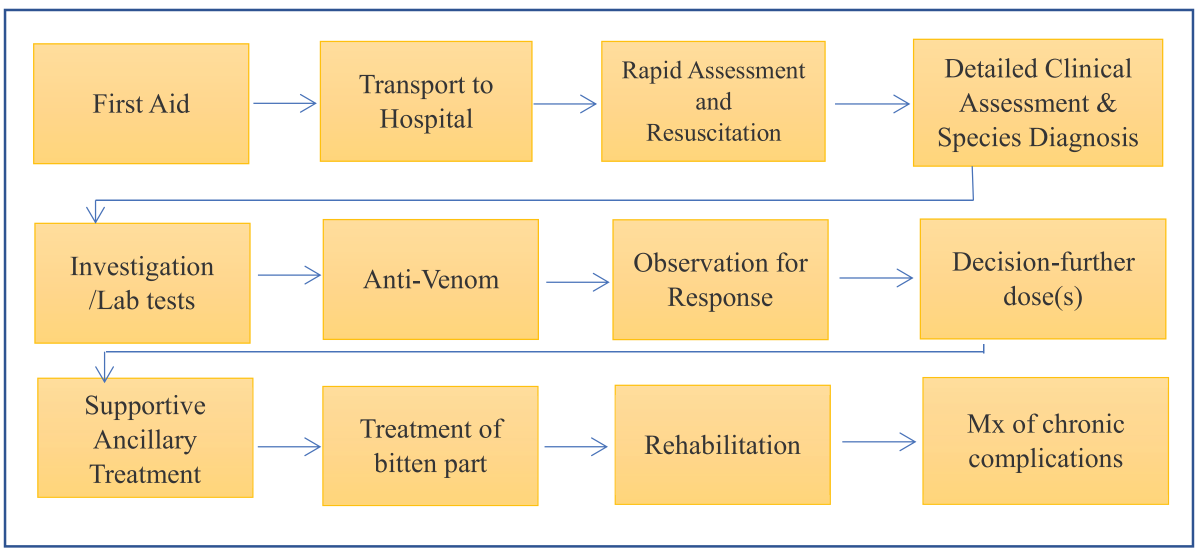

चित्र 10 – सर्पदंश पर अस्पताल संबंधी दिशानिर्देश ।

- साँप को मारने या पकड़ने का प्रयास न करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है।
- पारंपरिक प्राथमिक चिकित्सा विधियों (काले पत्थर, दाग–धब्बे) और वैकल्पिक चिकित्सा / हर्बल थेरेपी को त्यागें क्योंकि उनकी कोई भूमिका नहीं है और वे अधिक नुकसान करते हैं एवं उपचार में देरी करने से अच्छा है।
- घाव को न धोएं और काटने वाले घाव में हस्तक्षेप न करें (चीरा लगाना, सक्शन करना, रगड़ना, गोदना, जोरदार सफाई, मालिश, जड़ी–बूटियाँ लगाना या रसायन, क्रायोथेरेपी, दागना) क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है, जहर का अवशोषण और स्थानीय रक्तस्राव में वृद्धि हो सकती है।
- स्थानीय स्तर पर एंटीस्नेक वेनम (एएसवी) न लगाएं या इंजेक्ट न करें।
- टूर्निकेट न बांधें क्योंकि इससे अंगों में गैंग्रीन हो सकता है।
- यदि पीड़ित के 30 मिनट से अधिक लेकिन 3 घंटे से कम समय में अस्पताल पहुंचने की उम्मीद है तो योग्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा क्रेप बैंडेज लगाया जा सकता है जब तक मरीज को अस्पताल में स्थानांतरित न कर दिया जाए। काटे हुए स्थान के साथ–साथ पूरे अंग पर क्रेप बैंडेज लपेटा जाता है।

सर्पदंश के निशान को पहचानना

- अगर सांप जहरीला है तो शरीर में सांप के काटने के दो निशान बने होंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
- अगर सांप जहरीला है और एक से अधिक जगह काटा है तो वैसे ही दो निशान समान दूरी पर अन्य जगहों पर भी बने होंगे।
- जहरीले सांप के निशान कुछ गहरे भी होते हैं जैसे कि 2–7 मिमी तक गहरे हो सकते हैं।
- अगर सांप जहरीला नहीं है तो उसके काटने के छोटे–छोटे कई निशान बने होंगे जो ज्यादा गहरे नहीं होंगे।

विषहीन सर्प का

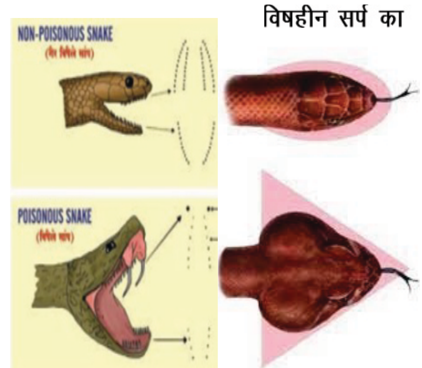

विषैलें सर्प का सिर

- विषहीन सांप के काटने के निशान चित्र में बने है, जिसे देख सकते हैं।

4.2 भारत में सर्पदंश से अधिक मृत्यु होने के कारण एवं सर्पदंश के दौरान क्या करें, क्या न करें :-

भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों की संख्या अधिक है। इसके कुछ कारणों में शामिल हैं:-

- तत्काल प्राथमिक चिकित्सा तक पहुंच का अभाव - सर्पदंश के कई मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती क्योंकि पीड़ित गैर–चिकित्सीय स्रोतों से इलाज चाहते हैं या उनके पास स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं होती है।
- आध्यात्मिक उपचारकर्ताओं पर निर्भरता - अवैज्ञानिक पारंपरिक इलाज पर लोगों की निर्भरता प्रभावी उपचार में घातक देरी का कारण बनती है।
- उच्च जोखिम वाले समूह - किसान, मजदूर, शिकारी, आदिवासी और प्रवासी आबादी, सांप बचाने वाले, और कोई भी समुदाय जिसकी स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच है, उन्हें सांप के काटने के लिए उच्च जोखिम वाले समूहों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- मानव–पर्यावरण संघर्ष - भारत के घने और अंधेरे जंगल सरीसृपों के लिए सर्वोत्तम आवास प्रदान करते हैं।
- मानसून ऋतु - आधी मौतें जून और सितंबर के बीच मानसून के मौसम में हुईं, जब सांप बाहर निकलते हैं।

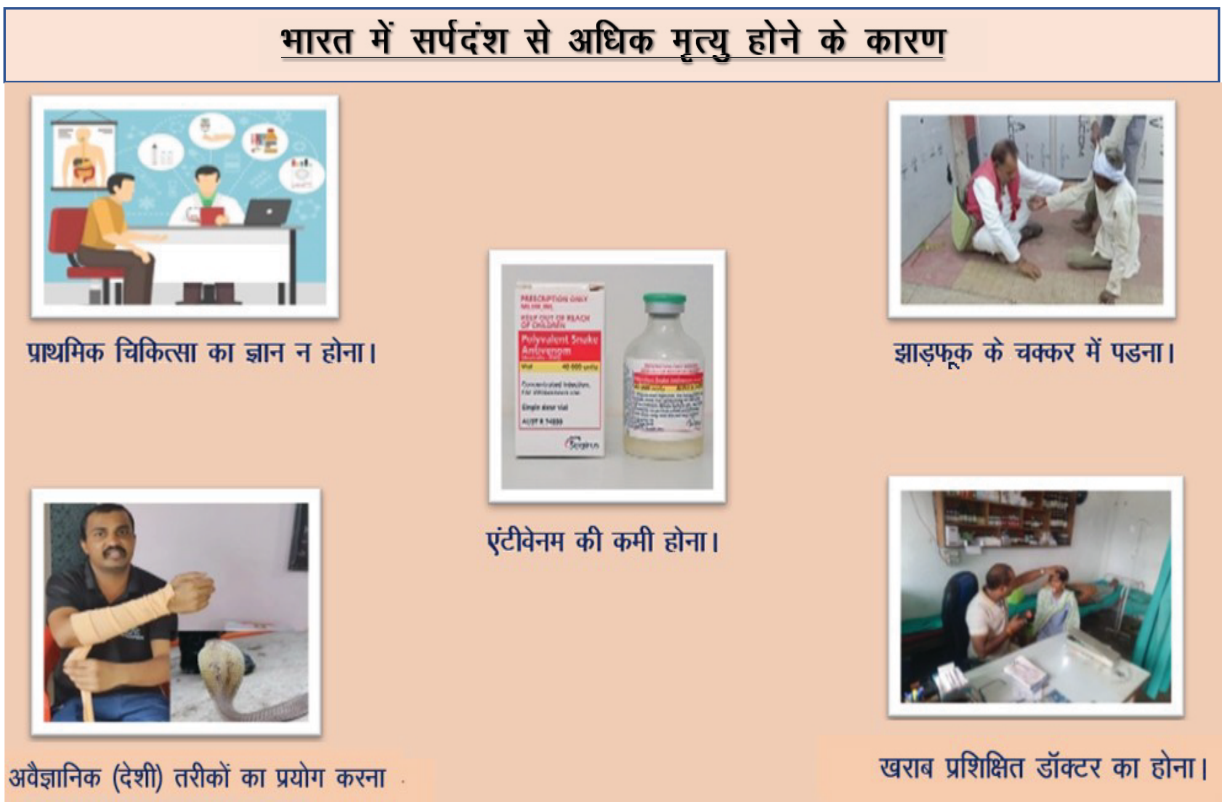

चित्र 11 – भारत में सर्पदंश से अधिक मृत्यु होने के कारण।

सर्पदंश के दौरान क्या करें, क्या न करें तथा बचाव हेतु सुझाव

क्या करें? ☑

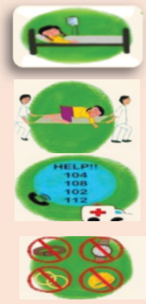

- सबसे पहले जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उस व्यक्ति की घबराहट को दूर करें, क्योंकि उसे जितनी घबराहट होगी, उतनी तेजी से उसके शरीर में जहर फैलता जायेगा।
- पीड़ित व्यक्ति को सोने न दें एवं किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें।
- एम्बुलेंस को 108/1070/112 पर कॉल करें। सर्पदंश से पीड़ित पुरुष या महिला के हाथ या पैरों से घड़ी, कड़ा, चूड़ी, बिछिया, कलावा या अंगूठी को निकाल दें।
- उसके कपड़े भी थोड़े ढीले कर दें।
- मरीज के हाथ या पैर में दंश से उचित दूरी पर एक हल्का कपड़ा या पट्टी (साड़ी की प्लेट की तरह से) बांध सकते है जिससे कि जहर तेजी से न फैले और ह्रदय की न बढ़े।
- मरीज के घाव से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। घाव को साबुन एवं साफ पानी से धोएं।
- मरीज को एंबुलेंस या किसी स्टचर तक उठाकर ही ले जाएं क्यों कि चलने फिरने से
- लिम्फ नोड क्रियाशील होते है और जहर तेजी से शरीर में फैलता है।
- पीड़ित व्यक्ति को नजदीक के चिकित्सालय ले जाएं, जहां पर डॉक्टर एवं एंटीवेनम उपलब्ध हो।

क्या न करें?

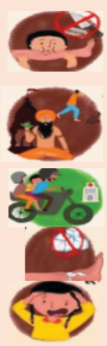

- सांप के जहर को कभी भी चूसकर निकालने की कोशिश न करें?
- अपने मन से किसी भी प्रकार की दवाई मरीज को न दें?
- पीड़ित व्यक्ति के सर्पदंश वाले भाग पर किसी भी प्रकार का मलहम न लगाएं?
- सपेरे अथवा तांत्रिक के चक्कर में न पड़ें?
- सांप को अकेला छोड़ दें कई बार सांप के नजदीक आने के कारण लोग सर्पदंश का शिकार बन जाते है। अपने हाथ व पैर को उन स्थानों से यथा संभव दूर रखें जहाँ पर आपकी दृष्टि न पड़ती हो। जब तक आप सांप की आक्रमण परिधि से सुरक्षित दूरी पर न हों। पत्थर व लकड़ो से मारने का प्रयास न करें।
- यदि मजबूत चमड़े के जूते न पहने हों तो उँची घास वाले स्थानों से दूर रहें। जहां तक संभव हो स्वयं को पगडण्डियों तक सीमित रखें।
- अंगों के चारों ओर टाइट बैंड (टूर्निकेट) न बांधना।
- रसायनों, जड़ी–बूटियों या बर्फ की थैलियों का सामयिक अनुप्रयोग ।

चित्र 12 – सर्पदंश के दौरान क्या करें व क्या न करें ।

4.3 सर्पदंश से बचने के लिये जागरुक होना जरुरी

- जब कोई सांप किसी को काट लेता है, तो सर्पदंश या सांप का काटना कहते हैं।
- सांप काटने से घाव हो सकता है और कभी–कभी विषाक्त भी हो जाती है, जिससे मृत्यु तक संभव है।
- अब यह ज्ञात है कि अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं किंतु सांप प्रायः अपने शिकार को मारने के लिए नही काटते हैं बल्कि अपनी आत्म रक्षा के लिए काटते हैं।
- भारत में सर्पदंश से आधे से अधिक लोगों की जान विषहीन सांप के काटने से होती है।
- अगर उन्हें सर्पदंश प्रबंधन का ज्ञान होता तो मृत्युदर कम होती।

सामान्यतः सर्प छिपने के स्थान

सर्पदंश से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग

किसान

मजदूर

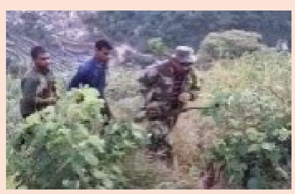
शिकारी

चरवाहे

सर्पमित्र

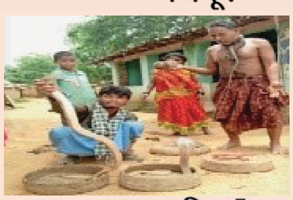
जनजातिया

शरणार्थी

अन्य

चित्र 13 – सर्पदंश से बचने के लिये जागरुक होना जरुरी ।

4.4 सर्पदंश से बचाव के उपाय

चलते समय गम बूट्स का प्रयोग करें

चलते समय छड़ी का प्रयोग करें

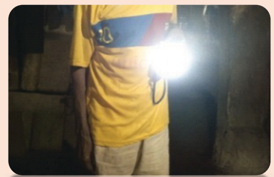

रात्रि में टार्च का प्रयोग करें

सोते समय खाट, बेड और नेट का प्रयोग करें

घास काटने से पहले लकड़ी की छड़ी साथ ले

तैराकी करते समय लकड़ी की छड़ी साथ में ले जाना

वन क्षेत्र/लंबी घास/जंगल की ओर जाते समय लकड़ी की छड़ी का प्रयोग

नोट– वर्षा के मौसम में सांपों से बचाव के निम्न उपाय हैं:–

बारिश जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाता है वहीं सापों का कहर भी इसी मौसम में बढ़ जाता है। बारिश के साथ ही शहर व ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश (सांप काटने) की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, बारिष का पानी सांप के बिलों में भर जाता है तो वे बाहर आकर सुरक्षित स्थान खोजते हैं, ऐसे में कई बार सांप लोगों के घरों में घुसकर पनाह पाते हैं, जिससे सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। 2020 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रति वर्ष औसतन लगभग 58,000 हजार लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। बारिश के मौसम में बिलों से बाहर निकलने के बाद वो ज्यादातर खेतों में काम करने वाले लोगों को आपना शिकार बनाते हैं।

1. जंगली और उँची घास वाले क्षेत्रों में जाने से बचने का प्रयास करें क्योंकि सांप ऐसे स्थानों पर आसानी से छिप सकते हैं।
2. बारिश के दिनों में घर के अंदर रहें और बाहर जाने से बचें क्योंकि सांप इस समय अधिक गमिशील होते हैं।
3. लंबे बूट पहनें ताकि सांप आपके पैरों पर न काट सके।

चित्र 14 – सर्पदंश से बचाव के उपाय।

लगभग सभी सर्प आमतौर पर जमीन पर सोते हुए लोगों को काटते हैं। कभी कभार यह बिस्तर पर और तकिया के नीचे भी छुप जाते हैं। इसीलिए जमीन पर असुरक्षित नहीं सोना चाहिए। हमेशा जमीन से कुछ ऊंचाई पर मच्छरदानी का उपयोग करते हुए ही सोना चाहिए। चूहों वा अन्य जीवों की तलाश मे भी सर्प घरों में प्रवेश कर जाते हैं और यदि कोई जमीन पर सो रहा हो तो उसे सर्पदंश होने की संभावना बाढ़ जाती है ।

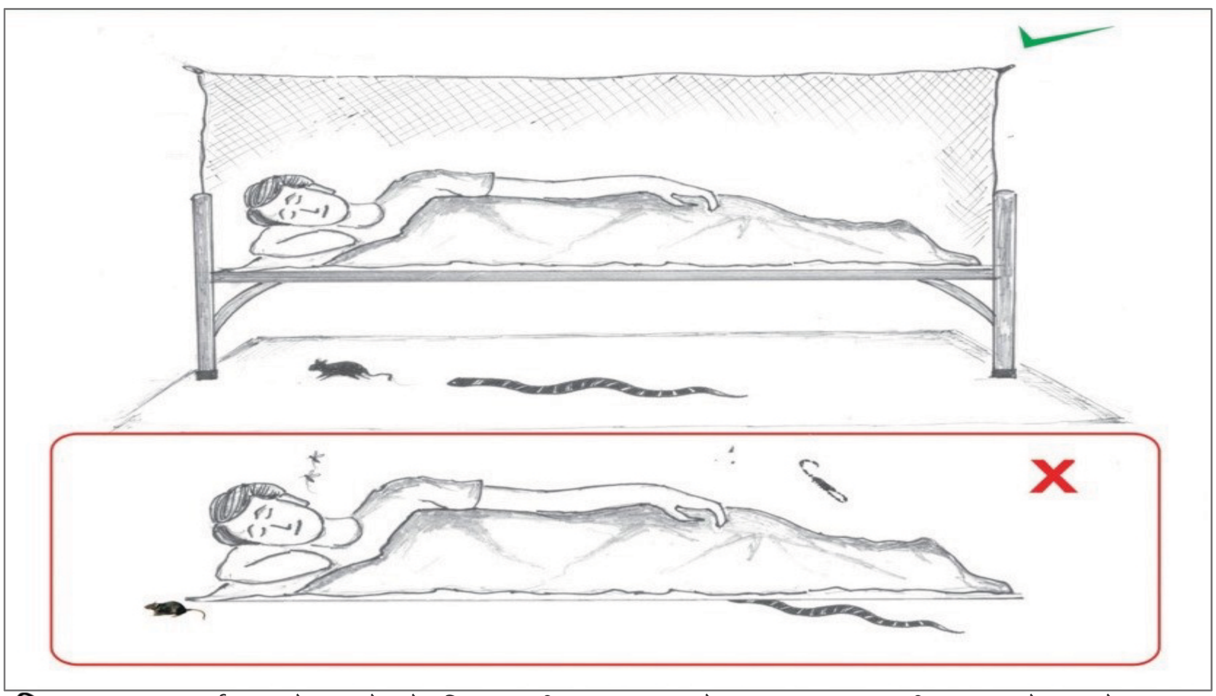

चित्र 15 – सर्पदंश से बचने के लिए जमीन पर ना सोएं एवं मच्छरदानी का प्रयोग करें ।

4.5 सामुदायिक शिक्षा :-

सामुदायिक शिक्षा सर्पदंश को रोकने के लिए एक प्रभावी रणनीति सिद्ध हो चुकी है। नेपाल के तराई क्षेत्र में, गांवों के एक समूह को लक्षित कर सर्पदंश जागरूकता सत्र, जिसमें राजनीतिक नेता, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पारंपरिक चिकित्सक और अन्य ग्रामीण शामिल थे। इस सत्र में ढेर सारे पर्चे, बैनर और पोस्टर वितरित किये गये। परिणामस्वरूप, सर्पदंश की घटनाएं 502 से घटकर 315 दंश/100000 जनसंख्या हो गई लेकिन नियंत्रित अलक्षित गांवों में यह निरंतर एक समान बना रहा। भारत में पश्चिम बंगाल में भी यह योजना लागू की गई जिसमें 800 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे कार्यक्रमों को बार बार दोहराया जाना चाहिए जिसमें मेडिकल क्षेत्र के महत्वपूर्ण सांपों की रंगीन तस्वीरें का स्पष्ट सिफारिशों के साथ पोस्टरों में उपयोग किया जाए जिससे लोगों में सर्पदंश के लिए जागरूकता बढ़े।

ध्यान रखने योग्य बातें

- **आस–पास का इलाका साफ सुथरा रखिए और कोई कबाड़ या ढ़ेर को न पनपने दें। साथ ही साथ चूहों की आबादी को न बढ़ने दें।**

- **समुदाय में उचित माध्यम से सर्पदंश से बचाव के लिए बचाव संबंधी जागरूकता का प्रचार–प्रसार करें।**

सर्पदंश में तुरंत अस्पताल नहीं ले जा सकते तो ये प्राथमिक उपचार करें

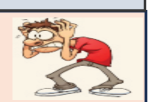

- सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को यह भरोसा दिलाएं कि 80–90 प्रतिषत सांप जहरीले नही होते हैं।
- शरीर के प्रभावित हिस्से से अंगूठियां, घड़ी, जूते व तंग कपड़े, आभूषण इत्यादि को हटा दें, ताकि प्रभावित हिस्से में रक्त का संचरण न रुके।
- सर्पदंश प्रभावित अंग को स्थिर कर दें एवं इसे हितने–डुलने से बचाएं।
- पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं।
- सांप के रंग और आकार को देखने एवं याद रखने की कोषिष करें।
- घाव को साफ पानी और साबुन से साफ करें।

सर्पदंश में तुरंत अस्पताल नहीं ले जा सकते तो ये प्राथमिक उपचार करें

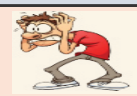

- सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को यह भरोसा दिलाएं कि 80–90 प्रतिषत सांप जहरीले नही होते हैं।

- शरीर के प्रभावित हिस्से से अंगूठियां, घड़ी, जूते व तंग कपड़े, आभूषण इत्यादि को हटा दें, ताकि प्रभावित हिस्से में रक्त का संचरण न रुके।

- सर्पदंश प्रभावित अंग को स्थिर कर दें एवं इसे हिलने–डुलने से बचाएं।
- पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं।

- सांप के रंग और आकार को देखने एवं याद रखने की कोशिश करें।
- घाव को साफ पानी और साबुन से साफ करें।

सर्पदंश के प्राथमिक उपचारः–

- सबसे पहले सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की शरीरिक क्रिया न करने दें।
- सबसे पहले जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसकी घबराहट दूर करें, क्योंकि जितनी घबराहट होगी उतनी तेजी से जहर फैलता जायेगा।
- घाव को साबुन से धोयें।
- मरीज के घाव से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें।
- सर्पदंश का उपचार अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त पदवी धारक चिकित्सक के परामर्श से करना चाहिये।
- पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सालय जाने के उपरान्त जल्द ही एंटीवेनम दिया जाना चाहिये।
- प्राथमिक उपचार सर्पदंश पीड़ित को डॉक्टर तक पहुंचने और विषरोधक उपचार शुरू होने तक जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है।

सर्पदंश के बाद निम्नलिखित सुझाव अनुपालन की सिफारिश की जाती

- धीरे से सर्पदंश से पीड़ित को सर्प से दूर ले जाएं।
- हर एक सर्प विषैला नहीं होता, यह तथ्य पीड़ित को समझाते हुए उसका मनोबल बढ़ाएं और उसे शांत करने की कोशिश करें।

- पीड़ित को तेज चलना या दौड़ना पूर्णतः वर्जित है।
- सर्पदंश की जगह सूजन की संभावन रहती है, इसलिए अंगूठी, घड़ी, ब्रेसलेट, या कसे कपड़े जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिये।

अति महत्वपूर्णः–

सर्पदंश के बाद निम्नलिखित गतिविधियाँ नहीं करनी चाहिए :-

- सर्प को ढूँढ़ना, पकड़ना या मारना नहीं चाहिए।
- सर्पदंश की जगह ब्लेड़, चाकू या किसी तीक्ष्ण धारदार हथियार से चीरा नहीं लगाना चाहिए।
- मुंह द्वारा विष को चूसकर नहीं निकालना चाहिए।

- सपेरे की तांत्रिक या अनाधिकृत औषधि देने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
- पीड़ित को डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना चाहिये। सर्पदंश के लक्षण दिखने का इंतजार नहीं करना चाहिए।
- सर्पदंश की जगह बर्फ की सिल्ली, या गर्म/ठण्ड़ा कपड़ा बाँधना चाहिए।

- सर्पदंश की जगह रस्सी या कपड़ा कस कर बाँधना नहीं चाहिए।

- डॉक्टर के परामर्श के बिना पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दवाई नहीं देना चाहिए।

- सर्पदंश के बाद पीड़ित को चलना/दौड़ना या वाहन नहीं चलाने देना चाहिए।

किसी दोपहिया वाहन द्वारा पीड़ित को अस्पताल ले जाने का सही तरीका

- दोपहिया वाहन द्वारा पीड़ित को अस्पताल ले जाते समय दो लोगों के मध्य में बैठाना चाहिये।
- पीड़ित न गिरे इसलिए पीछे बैठे आदमी द्वारा उसे भली भांति कस कर पकड़ कर रखना चाहिये।
- पीड़ित के पैर दोपहिया वाहन के पायदान (फुटरेस्ट) पर रखने चाहिये।

चित्र 16 – सर्पदंश में ध्यान रखने योग्य बातें।

अध्याय 5

सर्पदंश किट

5.1 सर्पदंश किट

सर्पदंश किट एक प्राथमिक चिकित्सा वस्तु है जिसका उपयोग सांप या जहरीले कीड़े के काटने और जहरीले तीर या अन्य मिसाइलों से होने वाले घावों के लिए किया जा सकता है। सर्पदंश किट में टूर्निकेट, पट्टियाँ, सफाई पोंछे, जहर निकालने वाला, अमोनिया पोंछ, स्केलपेल, कपास धुंध झाडू, नाइट्राइल दस्ताने, दबाव पट्टियाँ आदि शामिल हो सकते है। वेनम सक्शन एक्सट्रैक्टर के साथ स्नेक बाइट किट एक पोर्टेबल प्राथमिक चिकित्सा किट है जिसे विशेष रूप से एंटीवेनम उपयोग से पहले सांप के काटने के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। जहर हटाने में सहायता की कंस्ट्रिक्टर/सक्शन विधि से परिपूर्ण, यह किट उस समय आपकी मदद करने के लिए बनाई गई है जब आप आपातकालीन सहायता के आने का इंतजार करते हैं। सर्पदंश किट दंश क्षेत्र में जहर हटाने में प्रभावी सहायता प्रदान करती है। इस कॉम्पैक्ट और अत्यधिक सुविधाजनक सर्पदंश किट को आसानी से प्राथमिक चिकित्सा किट में पैक किया जा सकता है, और इसे यात्रा बैग या कार में हाथ में रखना बहुत अच्छा है। इसके बिना कैंपिंग या लंबी पैदल यात्रा पर न जाएं।

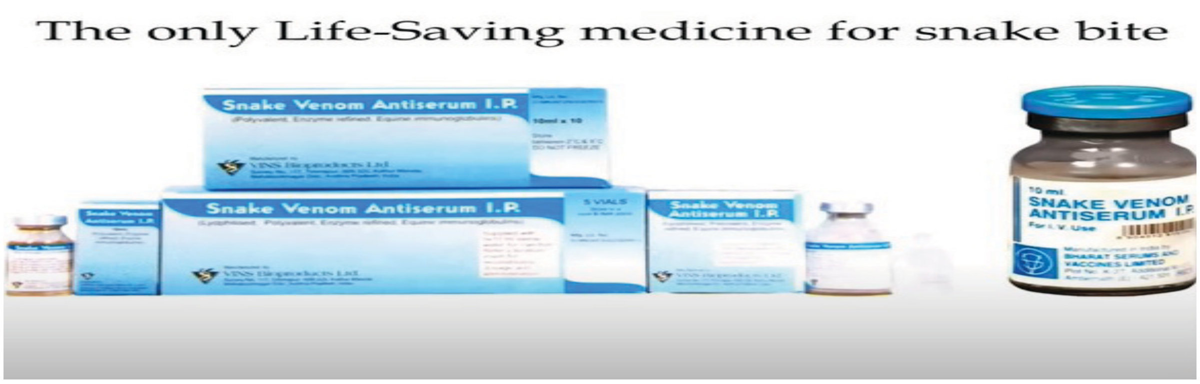

5.2 सुरक्षा उपकरण किट

चित्र 17 – सर्पदंश किट।

अध्याय 6

परिशिष्ट

6.1 सर्पदंश का खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता का विश्लेषण :-

The Government of UP declared snakebite as a State disaster in 2018. Incidents of snakebite occur throughout the year, however, during monsoons, a sharp rise in cases has been observed. According to the report from UPSDMA, a total of 1,037 deaths due to snakebite occurred between 2018 and 2021. The details are as follows :-

तालिका 2 – यू0पी0 में सर्पदंश से वर्षवार मौतें

S. No.	Year	No. of Deaths
1	2018–2019	21
2	2019–2020	484
3	2020–2021	532
4	2021-2022	981
5	2022-23	497
6	2023-24 (09.12.2023 तक)	773
	Total Deaths	**3,288**

Source: UPSDMA, 2018–2023-24

तालिका 3 – यू0पी0 में सर्पदंश से जिलेवार मौतें

S. No.	Name of District[1]	Number of Deaths						
		2018–2019	**2019–2020**	**2020–2021**	**2021-2022**	**2022-23**	**2023-24** (09.12.2023 तक)	**Total**
1	Agra	01	0	0	0	0	2	3
2	Firozabad		09	06	15	2	3	35
3	Mainpuri			06	16	2	7	31
4	Mathura				01	0	6	7
5	Aligarh		04	01	05	0	0	10
6	Etah		01		04	3	4	12
7	Hathras		02			0	1	3
8	Kasganj				04	0	10	14
9	Prayagraj		05	01	13	3	22	44
10	Fatehpur		48	50	62	28	31	219

[1] Italicised districts in Table 3 have the reported the highest number of deaths

S. No.	Name of District[1]	Number of Deaths						
		2018–2019	2019–2020	2020–2021	2021-2022	2022-23	2023-24 (09.12. 2023 तक)	Total
11	Kaushambi		13	10	08	34	22	87
12	Pratapgarh		12	09	18	12	27	78
13	Azamgarh		02	20	32	10	23	87
14	Ballia	01	07	03	20	8	11	50
15	Mau		01	02	03	7	3	16
16	Bareilly		05		02	4	4	15
17	Badaun		02	05	03	1	9	20
18	Pilibhit		25	14	16	8	17	80
19	Shahjahanpur			04	17	8	12	41
20	Basti		01		21	0	0	22
21	Sant Kabir Nagar		01		03	5	6	15
22	Siddharthnagar			02	10	2	8	22
23	Chitrakoot			04	12	2	12	30
24	Banda		02	15	17	7	44	85
25	Hamirpur	01	06	03	18	15	0	43
26	Mahoba	01	12	15	19	15	12	74
27	Bahraich		05	08		0	0	13
28	Balrampur	01		01	06	2	4	14
29	Gonda	05	04	11	28	7	11	66
30	Shravasti		01	02	02	1	3	9
31	Ayodhya	05	08	02	36	9	8	68
32	Barabanki		18	34	59	38	29	178
33	Ambedkar Nagar		29	10	03	17	12	71
34	Sultanpur		01	04	05	4	12	26
35	Amethi		02	20	08	13	20	63
36	Gorakhpur		14	05	09	5	5	38
37	Deoria				04	10	3	17
38	Kushinagar		11	07	06	6	6	36
39	Maharajganj			01		0	11	12
40	Jhansi		01		06	0	5	12
41	Jalaun		02		02	0	10	14
42	Lalitpur		10	04	41	26	23	104
43	Kanpur Nagar		06			0	1	7
44	Etawah		03	03	14	3	0	23
45	Farrukhabad		11	03	11	10	20	55
46	Kanpur Dehat				33	15	13	61
47	Auraiya		01		04	7	2	14
48	Kannauj		08	04	05	10	12	39
49	Lucknow				06	5	2	13

S. No.	Name of District[1]	Number of Deaths						
		2018–2019	2019–2020	2020–2021	2021-2022	2022-23	2023-24 (09.12.2023 तक)	Total
50	Hardoi		53	25	13	15	31	137
51	Lakhimpur Kheri		14	23	13	0	37	87
52	Raebareli		11	17	23	3	8	62
53	Sitapur	05	06	10	51	27	25	124
54	Unnao		31	48	38	2	7	126
55	Meerut		01			0	4	5
56	Bulandshahr		02		01	0	4	7
57	Gautam Buddha Nagar					0	0	0
58	Ghaziabad		02			0	0	2
59	Hapur					0	0	0
60	Baghpat					1	1	2
61	Mirzapur		07	29	45	14	18	113
62	Sant Ravidas Nagar		01			0	3	4
63	Sonbhadra		29	47	100	45	59	280
64	Moradabad		04		04	1	0	9
65	Amroha		01			0	0	1
66	Bijnor			03	03	1	4	11
67	Sambhal		01			0	1	2
68	Rampur					0	2	2
69	Saharanpur		02	02	02	2	4	12
70	Muzaffar Nagar				03	4	0	7
71	Shamli					0	0	0
72	Varanasi		01		01	1	2	5
73	Ghazipur	01	14	14	49	15	40	133
74	Jaunpur		09	19	08	0	11	47
75	Chandauli		02	06		2	4	14
	Total	**21**	**484**	**532**	**981**	**497**	**773**	**3288**

Source: UPSDMA, 2018–2023-24

From Table 3, the hotspots for snakebite can be defined as:

1. Deaths above 100;
2. Deaths from 50 to 100; and
3. Deaths from 10 to 49.

- The Districts with deaths in the topmost category, i.e., above 100, are Sonbhadra (280), Fatehpur (219), Barabanki (178) and Hardoi (137), Ghazipur (133), Unnao (126), Sitapur (124), Mirzapur (113) and Lalitpur (104).

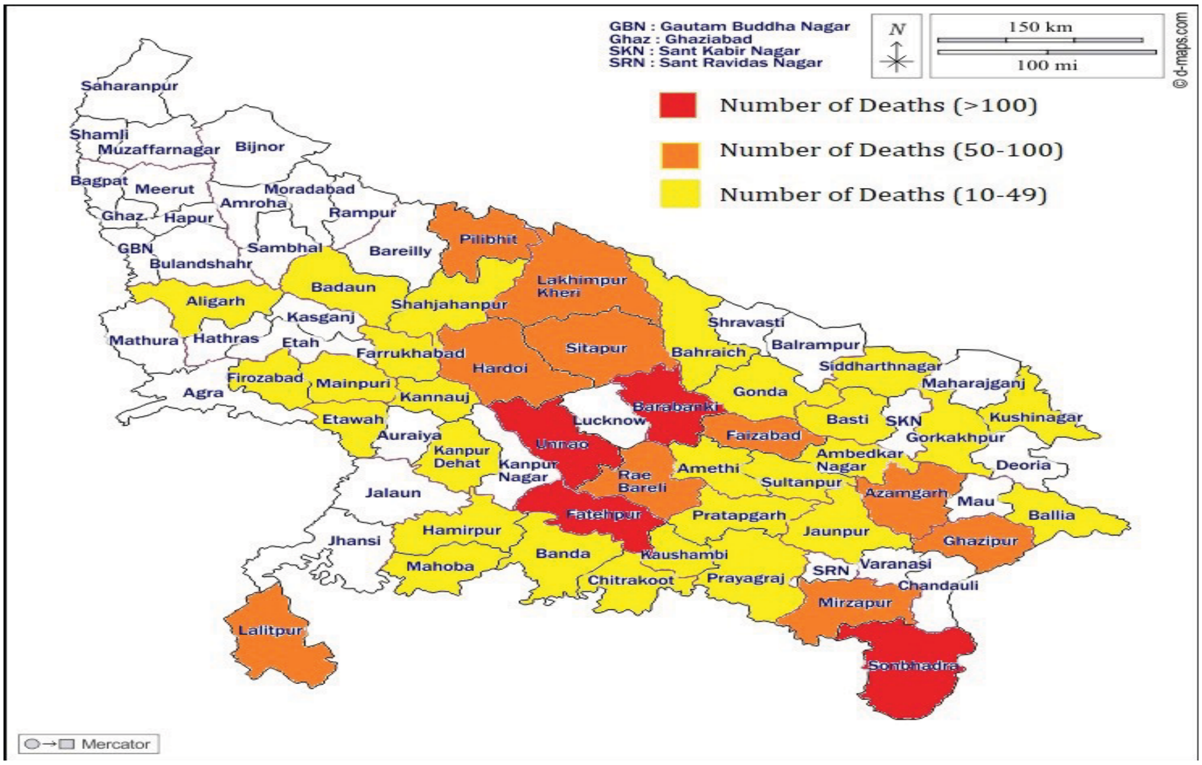

चित्र 18 – उत्तर प्रदेश में सर्पदंश जनहानि। **(Source :- UPSDMA 2018-2023)**

तालिका 4 – सर्पदंश का खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता का विश्लेषण

Hazard/Location	• Fatehpur, Unnao, Hardoi, Sonbhadra and Barabanki are hotspots
Vulnerabilities	• Farmland, poultry farms, fishponds, animal sheds, etc. • Thatched houses, mud houses, farmhouses. • Abandoned buildings/spaces. • Forest areas. • Improper disposal of garbage/waste
Gaps in Existing Capacities	• Lack of adequate resources for the worst-affected regions to improve community education, access to timely health care, training of medical staff, and provision of appropriate anti-venom. • Inadequate availability of skilled human resources at the first point of care such as PHCs or CHCs. Snakebite is a medical emergency, requiring prompt and skilled clinical intervention to save the life of the victims. • Lack of adequate supply of anti-venom at PHCs/CHCs in rural areas. • Unavailability of adequate number of ambulances in remote rural areas for quick movement of victims to health centres. • Lack of awareness among community members on seeking urgent hospital care. • Lack of trainings on first aid and proper treatment for snakebite at the community level. • People resorting to local beliefs and superstitions for treating snakebite cases.

6.2 प्रचार–प्रसार सामग्री एवं क्षमता विकास कार्यक्रम 2023–24/ वीडियो के माध्यम से प्रचार–प्रसार :–

प्रचार–प्रसार सामग्री

- https://youtu.be/GWOgmHv0CTk

UP SDMA

- पैम्फलेट– क्या करें/क्या न करें
- फोल्डेबल पोस्टर (सर्पदंष से बचाव)

चित्र 19 – प्रचार–प्रसार सामग्री।

उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सर्पदंश से हुई जनहानियों को न्यूनतम किये जाने हेतु किये गये कार्य

क्षमता विकास कार्यक्रम–2023–24

- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12–13 जून 2023 एवं 15–16 जून 2023 को **Management of Flood & Flood Related Issues, Drought, Lightning, Snakebite and Preparation of DDMPs & GPSDPs** विषय पर 02 दिवसीय आवासीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों से अपर जिलाधिकारी, अधिषासी अभियंता (सिंचाई), जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं आपदा विशेषज्ञों सहित जनपद स्तर के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

चित्र 20 – क्षमता विकास कार्यक्रम–2023–24।

वीडियो के माध्यम से प्रचार–प्रसार :-

- **प्राधिकरण** द्वारा **सर्पदंश से बचे और बचायें हेतु शॉर्ट फिल्म** तैयार कर व्यापक प्रचार– प्रसार हेतु सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया है एवं समस्त जनपदों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया गया है। वीडियो फिल्म को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।
- उक्त लघु फिल्म का सिनेमाघरों में भी चलाया गया है।

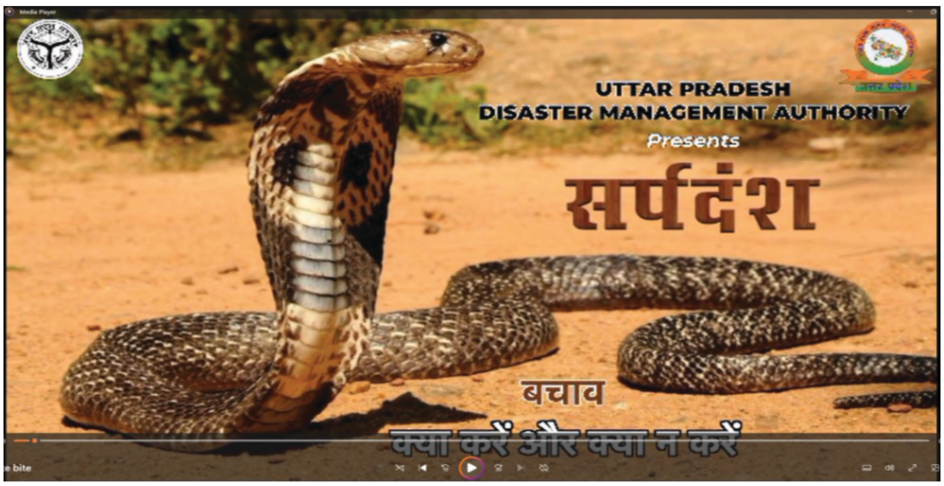

https://youtu.be/GWOgmHv0CTk

जन–जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम :

पोस्टर/पैम्फलेट

- प्राधिकरण द्वारा सर्पदंश के बचाव के उपायों को आम जनमानस तक पहुचानें हेतु पोस्टर/पैम्फलेट (आई0ई0सी0 सामग्री) तैयार कर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु समस्त जनपदों को प्रेषित किया गया है।
- प्राधिकरण द्वारा सर्पदंश के बचाव के उपायों के सम्बंध में क्या करें व क्या न करें आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया।
- जनपदों द्वारा उक्त पोस्टर/पैम्फलेट (आई0ई0सी0 मटेरियल) के होडिंग तैयार किये गये एवं जनमानस तक वितरित किया गया है।

चित्र 21 – जन–जागरूकता कार्यक्रम।

सावधान रहें
सुरक्षित रहें
सर्पदंश से बचाव हेतु
सुरक्षा के उपाय
क्या करें
• पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें।
• व्यक्ति की घबराहट दूर करें। घबराहट से शरीर में जहर तेजी से फैलता है।
• मरीज के घाव से किसी भी प्रकार की छेड़-छाड न करें। घाव को साबुन पानी से धुलें।
• घाव के आस-पास से घड़ी, कड़ा, अंगूठी इत्यादि चीजों को तुरन्त उतार दें।
• जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल लें जाएं, ताकि उसको सही उपचार मिल सकें।
• पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सालय स्थानान्तरित होने के उपरान्त
जल्द ही एन्टीवेनम दिया जाना चाहिए।
क्या न करें
• सांप के जहर को कभी भी चूसकर निकालने की कोशिश न करें।
• बिना चिकित्सीय सलाह किसी भी प्रकार की दवा मरीज को न दें।
• पीड़ित व्यक्ति के सर्पदंश वाले भाग पर किसी भी प्रकार का मलहम न लगाएं।
• सपेरे अथवा तांत्रिक के चक्कर में न पड़ें। • सांप को मारने का प्रयास न करें।
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
Email:- upsdma@gmail.com

6.3 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं (जी0ओ0) :-

चित्र 22 – भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– 303 /1–11–2016–4(जी)/16
लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2016

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015–20) से व्यय के सम्बन्ध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या–32–7/2014– एन0डी0एम0–1, दिनॉक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

13.	State specific disaster within the local context in the State, which are not included in the notified list of disaster eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF. • The Flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disaster for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disaster; with the approval of SEC.

2. राज्य में बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली एवं लू–प्रकोप से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जन–धन की हानि होती है। अतः भारत सरकार द्वारा दी गयी उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–249/1–11–2015–4(जी)/2015, दिनांक 15.04.2015 (यथा संशोधित दिनांक 16.04.2015) को निरस्त करते हुये श्री राज्यपाल महोदय बेमौसम भारी बारिश, आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली एवं लू–प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त राज्य आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के लिये निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राहत प्रदान की जायेगी।

4. उक्त राज्य आपदाओं के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

5. प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

U.O. 2016 //Pg72

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या–यू.ओ.-24/1–11–2018–4(जी)/2015
लखनऊ : दिनांक :: 02 अगस्त, 2018

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015–20) से व्यय के संबंध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या 32–7/ 2014–एनडीएम–प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

Items	Norms of Assistance
State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for local disaster should not exceed the norms of SDRF. • The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters, with the approval of SEC.

2. भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त व्यवस्था के कम में अधिसूचना संख्या–303/1–11–2016–4 (जी)/2015, दिनांक 27.06.2016 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान एवं लू–प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

3. शासन की उपर्युक्त अधिसूचना दिनॉक 27.06.2016 द्वारा घोषित आपदाओं–बेमौसम भारी वर्षा, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान एवं लू–प्रकोप के साथ ही प्रदेश में नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव तथा बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. मानव वन्य–जीव द्वन्द्व (Man-Animal Conflict) को भी राज्य आपदा घोषित किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति हुई है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

4. उक्त घोषित राज्य आपदाओं के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

बी–2 ब्लाक, भूतल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्या– 511 /रा0आ0प्र0प्रा/2023–24 दिनांक: 25 अगस्त, 2023

प्रेषक

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उ0प्र0।

विषय–सर्पदंश के कारण हुई मृत्यु से पोस्टमार्टम के संबंध में उचित दिशा–निर्देश जारी करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–157/एक–11–2020–04(जी)/ 2015–टी0सी0 लखनऊ दिनांक 08 जुलाई, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से सर्पदंश के कारण हुई मृत्यु के केस में मृत्यु होने की दशा में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा रू0 04.00 लाख की अहेतुक सहायता दी जाती है। विदित है कि सर्पदंश से मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सर्प–दंश का होना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या–स्था0/चि0अ0/पोस्टमार्टम/निर्देश/2023–24 दिनांक 28 जून, 2023 के माध्यम से जनपद गोरखपुर के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि सांप काटने की स्थिति में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम में 03 प्रकार की एण्टीमार्टम फाइन्डिग मिलती है :–

(I) HYPEREMIA (II) PARALLEL FANGS (III) ASPHYXIAL SIGN E.G. CYANOSIS

यदि ऐसा पाया जाय तो चिकित्सा अधिकारी मृत्यु का कारण सर्पदंश लिख सकते हैं तथा साथ ही सर्पदंश के केस में 10 एम0एल0 ब्लड टाक्सएल्बुमिन को जांच हेतु संरक्षित कर लेबोरेट्री भेजें तथा लोकल एरिया का टिशू भी जांच हेतु भेजा जा सकता है।

उक्त के संबंध अनुरोध है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिये गये सुझाव यथा 03 प्रकार की एण्टीमार्टम फाइन्डिंग **(I) HYPEREMIA (II) PARALLEL FANGS (III) ASPHYXIAL SIGN E.G. CYANOSIS** मिलने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्प–दंश की पुष्टि करने हेतु आपके जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को भी उक्त के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे कि पीड़ित परिवार को ससमय आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

उक्त कार्यवाही से उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राहत आयुक्त कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राम केवल)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि–
1. राहत आयुक्त, राजस्व विभाग को सादर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
3. समस्त आपदा विशेषज्ञों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. निजी सहा0 मा0 उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।

(राम केवल)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ssd/all letter फोन न0: 0522 2306882, 4078533, 2723950फैक्स न0:2720285 email: upsdma@gmail.com

अतिमहत्वपूर्ण / पोस्टमार्टम कार्य

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर

संख्या–स्था0 / चि0अ0 / पोस्टमार्टम / निर्देश / 2023–24 /

दिनॉक–28 जून, 2023

समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी,
सामु0स्वा0 / प्रा0स्वा0 / नगरीय प्रा0स्वा0केन्द्र,
जनपद–गोरखपुर।

विषय– सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–157 / एक–11–2020–04(जी) / 2015–टी0सी लखनऊ दिनांक–08 जुलाई, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके अनुसार सर्पदंश के केस में मृत्यु होने की दशा में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा रू0 04 लाख की अहेतुक सहायता दिया जाता है, सर्पदंश के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सर्पदंश का होना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते है कि सॉप काटनें की स्थिति में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम में तीन प्रकार की एण्टीमार्टम फाइन्डिग मिलती है, (i) HYPEREMIA (ii) PARALLEL FANGS (iii) ASPHYXIAL SIGN E.G. CYANOSIS, यदि ऐसा पाया जाय तो आपलोग मृत्यु का कारण सर्पदंश लिख सकते है। सर्पदंश के केसेज में 10 ML ब्लड टाक्सएल्युमिन की जॉच हेतु संरक्षित कर लेबोरेट्री भेजना चाहिए, तथा लोकल एरिया का टीशू भी जॉच हेतु भेजा जा सकता हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सर्पदंश के केसेज का पोस्टमार्टम करते समय यदि उपरोक्त फाइन्डिग मिलती है तो आप लोग मृत्यु के कारण में लिख सकते हैं कि THESE ARE THE CLINICALI & CLASSICAL ANTEMORTM FINDING OF SNAKE BITE FOR FORTHER CONFORMETION 10 ML BLOOD SAMPLE TO BE PRESERVE TO EXCLUDE TOXALBUMIN इसे दृष्टिगत रखते हुये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाय, जिससे कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानें में कोई व्यवधान न हो।

मुख्य चिकित्साधिकारी
गोरखपुर।

संख्या–स्था0 / चि0अ0 / पोस्टमार्टम / निर्देश / 2023–24 /

तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
6. प्रमुख अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100शैय्या क्षयरोग सह सामान्य चिकित्सालय गोरखपुर।
8. वरिष्ठ परामर्शदाता / परामर्शदाता पुलिस चिकित्सालय गोरखपुर।
9. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप मु0चि0अ0 एंव समस्त जनपद स्तरीय नियंत्रक, अधिकारी जनपद–गोरखपुर।
10. समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
11. चिकित्साधिकारी / चीफ फार्मेसिस्ट / फार्मेसिस्ट, पुलिस चिकित्सालय / पोस्टमार्टम हाऊस, गोरखपुर।
12. समस्त चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।

मुख्य चिकित्साधिकारी
गोरखपुर।

अति महत्वपूर्ण
संख्या-157/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी०सी०

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2021

विषय:- सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-यू0ओ0-20/एक-11-2018-4(जी)/2015 दिनांक 02.08.2018 में सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित करते हुए सर्पदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रु0 04.00 लाख की अहेतुक सहायता दिया जाना प्राविधानित है।

2 शासन के संज्ञान में आया है कि सर्पदंश से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जांच हेतु फारेंसिक लैब भेजी जाती है और मृतक की विसरा जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता समय से उपलब्ध नहीं करायी जाती है। फारेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि विसरा जांच रिपोर्ट से सर्पदंश से मृत्यु प्रमाणित भी नही होता है।

3 स्टेट मेडिको लीगल सेल के परामर्श के क्रम में सर्पदंश से मृत्यु की दशा में विसरा जांच रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता न होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाय :-

(1) मृतक का पंचनामा कराया जाय।
(2) मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाय।
(3) पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है।
(4) सर्पदंश से मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 07 दिन के अन्दर अहेतुक सहायता उपलब्ध करायी जाय।

4 अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रकरणों को 07 दिन के अन्दर निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

6.4 आपदा आधारित इमरजेंसी किट :-

संसार का कोई भी व्यक्ति जीवन में जोखिम और आपदाओं में बच नहीं सकता। आप कहीं भी रहते हो कुछ भी करते हो और कहीं भी आ जा रहे हों, आपको निरंतर सावधान रहना चाहिये थोड़ी भी सतर्कता से हर व्यक्ति जोखिम और खतरों से बच सकता है। यदि आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम टहलने के बाद बाकी काम शुरू करते हैं, तो आप अधिक दिनों तक स्वस्थ्य रहेंगें। नियमित स्नान, संतुलित भोजन और साफ सफाई का ध्यान रखेंगें, तो आसानी से बीमार नहीं होंगें। यदि आप कहीं आते–जाते समय चारों ओर देख संभलकर चलेंगें तो आपके साथ दुर्घटनाएं नहीं होगी। अजनबियों पर विष्वास नहीं करेंगें तो छल कपट का शिकार नहीं होंगें। देख समझकर ही मैत्री करेंगें तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सुखी और निरापद जीवन तभी संभव है जब अपने जीवन में आने वाली हर तरह की आपदाओं से निपदने का पहले से ही प्रबंधन कर लिया जाए। यह मानक संचालन प्रक्रिया आपको सर्पदंश से कुशलता पूर्वक निपटने और दूसरों को भी सर्पदंश से बचाने में सहायता करेगी।

Management of Snakebite Prevention

S.No.	Locaton	Deaths
1	Urban Gardens	N/A
2	Home Lawn	N/A
3	Inside the Urban Houses	N/A
4	Construction sites in Urban Areas	N/A
5	Shops/Factories	N/A
6	Farms/Fields during Work	High Risk
7	Backyard of House at Night	High Risk
8	Kachha House in Rural Areas	Low Risk
9	Sleeping on Floor	High Risk

चित्र 23 – आपदा आधारित इमरजेंसी किट।

6.5 सर्पदंश पर विस्तृत अनुसंधान हेतु प्रपत्र :-

उत्तर प्रदेश में सर्पदंश के कारण हो रहे मृत्यु के कारणों को सूक्ष्म स्तर से समझने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्फियर इण्डिया एवं इंटर एजेंसी ग्रुप उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वधान में सर्पदंश पर विस्तृत अनुसन्धान हेतु प्रपत्र :-

(यह प्रपत्र मृतक के अभिभावक / परिवार से बात करके भरा जाना है)

सर्वे दिनांक:

PART- A: सामान्य जानकारी

1- जनपद का नाम :
2- तहसील का नाम :
3- ब्लाक का नाम :
4- ग्राम पंचायत का नाम :
5- उत्तरदाता का नाम [18 वर्ष से ऊपर का]
6- संपर्क नंबर :
7- उत्तरदाता का मृतक से सम्बन्ध

[a] पुत्र
[b] पिता
[c] माता
[d] भाई
[e] बहन
[f] रिश्तेदार
[g] पडोसी

8- मृतक का जाति (वर्ग)

[a] ST
[b] SC
[c] OBC
[d] GEN

9- मृतक का धर्म

[a] हिन्दू
[b] मुस्लिम
[c] सिक्ख
[d] इसाई
[e] अन्य

10-परिवार की श्रेणी

[a] BPL/अंत्योदय
[b] पात्र गृहस्ती

11- मृतक का व्यवसाय

[a] कृषि
[b] मजदूरी
[c] व्यापार
[d] सरकारी नौकरी
[e] प्राइवेट नौकरी

[f] अन्य

12- क्या परिवार में एकल कमाने वाले व्यक्ति की ही मौत हुई है
[a] हाँ
[b] नहीं

PART-B: सर्पदंश से सम्बंधित जानकारी

13-सर्पदंश से मरने वाले व्यक्ति का नाम---

14-लिंग

[a] पुरुष
[b] महिला
[C] ट्रांस जेंडर

15-उम्र---------------

16-मृत्यु का दिनांक----------------

17-मृत्यु स्थान

[a] प्राइवेट अस्पताल
[b] सरकारी अस्पताल
[c] सोखा/ओझा के घर
[d] अपने घर
[e] अस्पताल जाते समय रास्ते में
[f] सर्पदंश वाले स्थान पर
[g] सर्पदंश वाले स्थान से घर जाते समय
[h] अन्य कहीं

18-क्या सांप काटते हुए किसी ने देखा ?

[a] हाँ
[b] नहीं

19-सांप काटने का स्थान ?

[a] खेत में जातें या कार्य करते समय
[b] सांप पकड़ते समय
[c] सांप मारते समय
[d] रात में कंडा/लकड़ी निकालते समय
[e] दिन में कंडा/लकड़ी निकालते समय
[f] सोते समय
[g] घर में कार्य करने के दौरान
[h] मछली मारते समय
[i] नदी/तालाब/पोखरे में नहाते समय
[j] बगीचे/जंगल में
[k] जानवर चराते समय
[l] रस्ते में जाते हुए

[M] मालूम नहीं

20-सांप काटने का समय ?

[a] दिन में
[b] रात में

21-सांप ने शारीर के किस भाग में काटा ?

[a] हाथ में
[b] पैर में
[c] पीठ पर
[d] पेट पर
[e] गर्दन पर
[f] सर/मुह पर
[g] देखा नहीं जा सका
[h] अन्य

22-सांप काटने के कितने देर बाद पता चला ?

[a] तत्काल
[b] 1 घंटे बाद
[c] 2 घंटे बाद
[d] 3 घंटे बाद
[e] 10-12 घंटे बाद
[F] मरने के बाद

23-सांप काटने पर किस प्रकार का लक्षण दिखाई दिया था ?

[a] सुजन
[b] बेहोसी
[c] मुह से झाग निकलना
[d] दांत का निशान
[e] उल्ट/मिचली होना
[f] चक्कर आना
[g] अन्य स्पष्ट करें

PART-C: उपचार से सम्बंधित जानकारी

24-सांप काटने के बाद स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या किया गया ?

[a] उस अंग के पास रस्सी/डोरी बांध दी गई
[b] उस अंग को स्थिर करने के लिए फट्ठी लगाकर बांध दिया गया
[c] काटे हुए स्थान पर चीरा लगाकर खून निकाल दिया गया
[d] झाड फुक करवाये गये
[e] बगैर कुछ किये अस्पताल पर ले गये
[f] घर पर रहे, कही नहीं गये
[g] कुछ पता नहीं

25-यदि प्राथमिक उपचार नही किया गया तो उसका क्या कारण था ?

[a] जानकारी का आभाव
[b] समय का अभाव
[c] आवश्यकता नहीं महसूस की गई
[d] अन्य

26-सांप काटने पर सबसे पहले कहाँ गये ?

[a] प्राइवेट अस्पताल
[b] प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
[c] समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
[d] जिला अस्पताल
[e] मेडिकल कालेज
[f] PGI
[g] AIMS
[h] सोखा, ओझा, तांत्रिक, झाड़ फुक वाले के पास
[i] झोला छाप डाक्टर
[J] अन्य

27-यदि सोखा, ओझा, तांत्रिक या झाड़ फुक करने वाले के पास गए तो वहां कितना समय व्यतीत किया (घंटे में)--

28-यदि पहले अस्पताल में गये तो क्या वहां इलाज हुआ ?

[a] हाँ
[b] नहीं
[c] दुसरे अस्पताल में रेफर किया गया

29-यदि हाँ तो क्या हुआ ?

[a] एंटी बेनम /मल्टी बेनम इंजेक्शन लगाया गया
[b] अन्य उपचार किया गया
[c] कुछ उपचार के बाद दुसरे अस्पताल में रेफर किया गया

30-सांप काटने पर नजदीकी जिस अस्पताल में सबसे पहले गये यदि वहाँ इलाज नहीं हुआ तो क्या कारण था ?

[a] अस्पताल बंद था
[b] डाक्टर की अनुपस्थिति
[c] इंजेक्शन का आभाव था
[d] अन्य कारण

31-यदि दुसरे अस्पताल में रेफर किया गया तो उसका कारण क्या था ?

[a] मरीज बहुत गंभीर था
[b] सर्पदंश के उपचार हेतु डाक्टर की अनुपस्थिति
[c] जाँच/ब्लड/आक्सीजन/आपरेशन की आवश्यकता
[d] बेड का आभाव

[e] अन्य

32-अस्पताल पहुँचने के बाद चिकित्सकीय उपचार सुरु होने में कितना समय लगा (घंटे में)--------

33-यदि अस्पताल पहुँचते ही तत्काल चिकित्सकीय उपचार सुरु नहीं हो पाया तो उसका क्या कारण था

[a] अस्पताल के पर्ची बनवाने में देरी
[b] पर्ची बनवाने के बाद सर्पदंश उपचार वार्ड में पहुँचने में देरी
[c] बाहर से दवा/इंजेक्शन लाने में देरी
[d] मौके पर डाक्टर का न रहना
[e] अन्य कारण

34-अस्पताल में पर्ची बनने वाले स्थान/इमरजेंसी वार्ड से कितनी दुरी पर सर्पदंश उपचार वार्ड है (मीटर में)-------------

35-सांप काटने के बाद चिकित्सकीय उपचार सुरु होने में कितना समय लगा (घंटे में)-------------

36-सांप काटने के बाद जिस अस्पताल में उपचार शुरू हुआ वहां तक पहुँचने में (रास्ते में) कितना समय लगा (घंटे में)-------------

37-अस्पताल का नाम एवं पता जहां उपचार किया गया---

38-घर से अस्पताल की दुरी जहाँ उपचार शुरू हुआ (किमी.में)-------------

PART-D: पोस्टमार्टम एवं मुआवजा सम्बंधित जानकारी

39-क्या मृतक का पोस्टमार्टम हुआ ?

[a] हाँ
[b] नहीं

40-यदि मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसका क्या कारण था ?

[a] परिवार के लोग तैयार नहीं थे
[b] डॉक्टर ने करने से मना कर दिया
[c] अभी जिन्दा होने के उम्मीद में मृतक को केले के तने पर पानी में विसर्जन किया गया
[d] पता नहीं ऐसा क्यों किया गया

41-यदि मृतक का पोस्टमार्टम हुआ तो क्या सरकार के तरफ से मुआवजा मिला ?

[a] हाँ
[b] नहीं

42-यदि हाँ तो कितना---------------------

43-यदि मुआवजा मिला तो कितने दिन बाद ---------------------------

PART-E: अन्य व्यवहारिक जानकारी

44-सर्पदंश के दौरान घर से अस्पताल जाने वाला रास्ता कैसा था ?

[a] बहुत अच्छा
[b] अच्छा
[c] कुछ दूर अच्छा और कुछ दूर ख़राब
[d] टूटी फूटी
[e] रास्ता ही नहीं है

45-सर्पदंश के बाद घर से अस्पताल जाने का साधन क्या था ?

[a] एम्बुलेंस
[b] प्राइवेट साधन
[c] सवारी गाड़ी
[d] मोटर साईकिल
[e] पैदल, चारपाई, बैलगाड़ी या अन्य साधन से

46-साधन मंगाने/व्यवस्था करने में कितना समय लगा (घंटे में)--------------

47-सांप काटने के बाद डाक्टर के पास पहुँचने तक मरीज को क्या क्या खिलाया पिलाया गया ?

[a] चाय-काफी, दूध, कोल्ड्रिंक
[b] नास्ता पानी
[c] भोजन
[d] फल
[e] अन्य

48-आपके अनुसार मृत्यु का मुख्य कारण क्या था ?

[a] झाड़ फूंक
[b] साधन का आभाव
[c] सर्पदंश का पता न चलना
[d] डाक्टर की लापरवाही
[e] अस्पताल में दवा /इंजेक्शन का आभाव
[f] अस्पताल पहुँचने के बाद भी समय से उपचार का शुरू न हो पाना
[g] घर से अस्पताल दूर होना
[h] प्राइवेट अस्पताल में जाने के कारण पैसे का आभाव

49-क्या आपको सांप से बंचाव हेतु क्या करें क्या न करें की जानकारी है ?

[a] हाँ
[b] नहीं
[c] अधूरी जानकारी

50-आगे से इस प्रकार के सर्पदंश से मृत्यु को रोकने के लिए आपके क्या सुझाव है

[a]..
[b]..
[c]..

51- साक्षात्कर्ता का नाम---

52- मोबाइल नंबर---

6.6 राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अहैतुक सहायता/ आपातकालीन संपर्क सूत्र :-

सर्पदंश की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अहैतुक सहायता

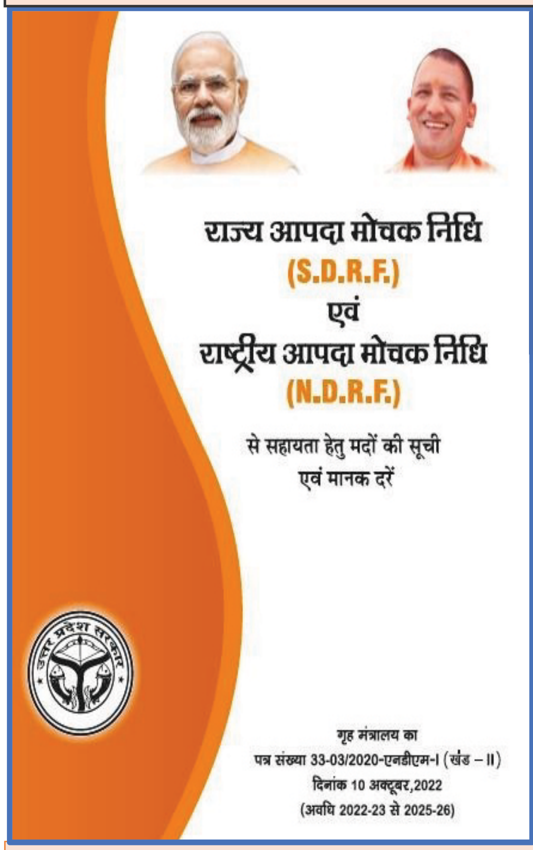

राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन0डी0आर0एफ0) से सहायता देने की मदें और मानदंडों की सूची

अवधि 2022–23 से 2025–26 गृह मंत्रालय का दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 की पत्र संख्या 33–03/2020–एनडीएम–I (खंड–II)

क्र0सं0	मद	सहायता के मानदंड
मोचन एवं राहत राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एस0डी0आर0एफ0) का 40 प्रतिषत अर्थात् वर्ष के लिए (एस0डी0आर0एफ0) आंवटन के 50 प्रतिषत के बराबर		
आनुग्रहिक राहत		
मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राषि का भुगतान।		प्रत्येक मृतक के लिए **4.00 लाख रू0** इसमें वे सभी शामिल है जो राहत अभियानों में शामिल है अथवा तैयारी सम्बंधी कार्य कलापों से सम्बद्ध है। यह उर्पयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण सम्बंधी प्रमाण के अधीन है।

आपातकालीन संपर्क सूत्र

क्रमांक	आपातकालीन/सहायता सेवाएँ	नंबर
1	मुख्यमंत्री सहायता	1076
2	पुलिस आपात सेवा	112/100
3	एम्बुलेंस सेवा	108/102
4	अग्निशमन सेवा	101
5	स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर	1070
6	महिला हेल्पलाइन	1090
7	चाइल्ड हेल्पलाइन	1098

चित्र 24 – राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अहैतुक सहायता/ आपातकालीन संपर्क सूत्र।

धन्यवाद

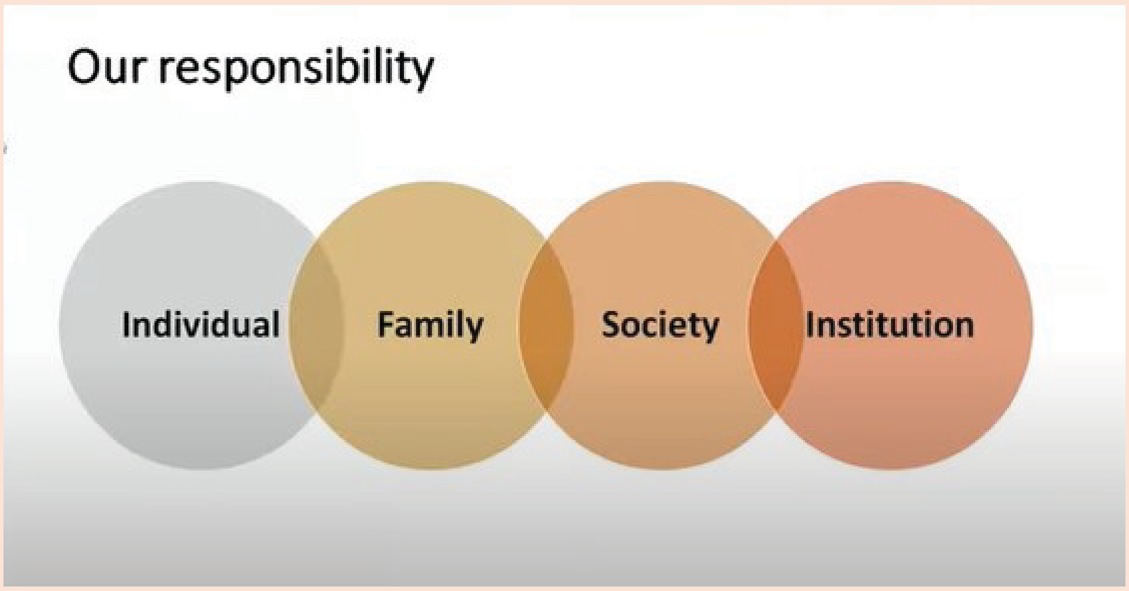
Our responsibility
Individual
Family
Society
Institution

टिपण्णी

टिपण्णी

टिपण्णी

स्कूल सुरक्षा चक्र

सुरक्षित विद्यालय
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश
सुरक्षित विद्यालय
अप्रैल
W1 आकाशीय बिजली / चक्रवाती तूफान - बचाव व प्रबंधन
W2 लू / ताप घात - बचाव व प्रबंधन
W3 अगलगी - बचाव व प्रबंधन
W4 पेयजल का रखरखाव/ डायरिया प्रबंधन
मई
W1 लू / ताप घात - बचाव व प्रबंधन
W2 आकाशीय बिजली / चक्रवाती तूफान - बचाव व प्रबंधन
W3 सर्प दंश / विषैले जानवर का दंश - बचाव व प्रबंधन
W4 अगलगी - बचाव व प्रबंधन
जून
W1 सड़क दुर्घटना - सावधानियाँ एवं बचाव
W2 डूबने की घटना / नाव दुर्घटना - बचाव व प्रबंधन
W3 पर्यावरण प्रदूषण (वायु, जल, ध्वनि) संरक्षण
W4 आकाशीय बिजली/ चक्रवाती तूफान - बचाव व प्रबंधन
जुलाई
W1 भारी बारिश / बाढ़ / जल-जमाव / जल जनित बीमारियाँ
W2 डूबने की घटना / नाव दुर्घटना - बचाव व प्रबंधन
W3 पेयजल का रखरखाव/ डायरिया प्रबंधन
W4 सर्प दंश / विषैले जानवर का दंश - बचाव व प्रबंधन
अगस्त
W1 डूबने की घटना / नाव दुर्घटना - बचाव व प्रबंधन
W2 भारी बारिश/ बाढ़/जल-जमाव/ जल जनित बीमारियाँ
W3 आकाशीय बिजली/ चक्रवाती तूफान - बचाव व प्रबंधन
W4 वृक्षारोपण/ जलवायु परिवर्तन संबन्धित विषय
सितम्बर
W1 भारी बारिश/ बाढ़/ जल-जमाव/ जल जनित बीमारियाँ
W2 पेयजल का रखरखाव/ डायरिया प्रबंधन
W3 सर्प दंश / विषैले जानवर का दंश - बचाव व प्रबंधन
W4 डूबने की घटना / नाव दुर्घटना - बचाव व प्रबंधन
अक्टूबर
W1 भगदड़ से बचाव / पटाखा से बचाव व सावधानियाँ
W2 भूकंप सुरक्षा - प्राथमिक उपचार व्यक्तिगत सुरक्षा
W3 व्यक्तिगत स्वच्छता
W4 प्राथमिक उपचार / व्यक्तिगत सुरक्षा
नवम्बर
W1 भगदड़ से बचाव / पटाखा से बचाव व सावधानियाँ
W2 बाल अधिकार / शोषण / बाल मजदूरी - जानकारियाँ व सावधानियाँ
W3 शीत लहर - बचाव व प्रबंधन
W4 अगलगी - बचाव व प्रबंधन
दिसम्बर
W1 शीत लहर - बचाव व प्रबंधन
W2 पर्यावरण प्रदूषण (वायु, जल, ध्वनि) संरक्षण
W3 स्वस्थ आदतें / स्वस्थ व्यवहार
W4 पोषण प्रबंधन / स्वास्थ्य प्रबंधन
जनवरी
W1 शीत लहर - बचाव व प्रबंधन
W2 अगलगी - बचाव व प्रबंधन
W3 बाल अधिकार / शोषण / बाल मजदूरी - जानकारियाँ व सावधानियाँ
W4 व्यक्तिगत स्वच्छता
फरवरी
W1 भूकंप सुरक्षा - सावधानियाँ व बचाव
W2 पर्यावरण प्रदूषण (वायु, जल, ध्वनि) संरक्षण
W3 प्राथमिक उपचार / व्यक्तिगत सुरक्षा
W4 सड़क दुर्घटना - सावधानियाँ एवं बचाव
मार्च
W1 अगलगी - बचाव व प्रबंधन
W2 हजार्ड हंट अभ्यास व खतरों का प्राथमिकीकरण
W3 विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सृजन
W4 पेयजल का रखरखाव / डायरिया प्रबंधन

मानननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भवन शिलान्यास - 01 जून 2023

सम्पर्क सूत्रः

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बी-2 ब्लॉक, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 (उ0प्र0)

ई-मेल : upsdma@gmail.com

वेब साईट : https://upsdma.up.nic.in